साप्ताहिक
शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 05 30 जनवरी- 05 फरवरी 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

सिर्फ वायदों की भेंट चढ़ता बचपन
पृष्ठ-6

जातिविहीन भारत की कल्पना
पृष्ठ-7

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव-2022

न्यायपूर्वक सम्पन्न कराना क़ानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती

सही बात यह है कि हमें एक ऐसी पुलिस की आवश्यकता है जिस के लिए चुनाव कराने का मतलब सत्तापक्ष को ख़ुश करने की बजाए क़ानून की रक्षा करना हो।

05 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा जब से हुई है, तब से इन पांचों राज्यों में राजनीतिक माहौल अपने चरम पर है। इसके साथ ही इन प्रदेशों की पुलिस व्यवस्था के लिए इम्तिहान भी है। भले ही स्वीकार न किया जाए, यह निर्विवाद है कि आज हमारी कोई भी सामाजिक या राजनीतिक गतिविधि पुलिस की सक्रिय उपस्थिति के बिना सम्पन्न नहीं हो सकती। एक प्रौढ़ लोकतंत्र में तो उम्मीद यही की जाती है कि जनता एक सांस्कृतिक अनुशासन के तहत अपने प्रतिनिधि चुनती रहे और शांति व्यवस्था भी बनी रहे। सात दशकों और पन्द्रह से अधिक आम चुनावों के बाद भी हम ऐसी स्थिति में नहीं आ पाए हैं कि बिना पुलिस भागीदारी किसी चुनाव सम्पन्न होने की कल्पना कर सके। हमारे लिए तो इजरायल या स्वीडन जैसे समाज किसी दूसरे लोग के होंगे, जहां पिछले कुछ माह में कई चुनाव थोड़े थोड़ अंतराल में हुए और सामान्य नागरिक की रोज़मर्रा की ज़िन्दगी बिना पटरी से उतरे चलती रही। चुनाव के बड़े बंदोबस्त में पुलिस के समक्ष मुख्य चुनौती नफरी या संसाधनों से अधिक उस उम्मीद पर खरी उतरने की होती है, जो उससे सत्ता या विपक्ष, आम जनता और निर्वाचन आयोग की होती है। सबसे ज़्यादा दिक्क़त तो सत्ताधारी दल की अपेक्षा से पैदा होती है। भारतीय परिदृश्य में शाह-ए-वक़्त हमेशा मानकर चलता है कि सरकारी मशीनरी बनी ही है उसकी हर ज़िद पूरी करने के लिए।

इसमें किसी एक दल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि इस हमाम में सभी नंगे है। दुर्भाग्य से नौकरशाही ने भी, कुछ विशिष्ट अपवादों को छोड़कर उसे निराश नहीं किया है। यह तो भला हो टी.एन शेषन का, जिनका नौकरशाह के रूप में कार्यकाल बहुत उत्साहजनक नहीं था, पर सांविधानिक पद पर बैठते ही उन्होंने ऐसे दूरगामी सुधार किए, जिनके बल पर आज भी चुनावों की थोड़ी बहुत साख बची हुई है। शेषन के सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष चुनाव बूथों की सुरक्षा पूरी तरह से राज्य पुलिस से लेकर केन्द्रीय पुलिस बल को सौंपना था। इस एक क़दम से बूथ लूटने की घटनाएं तो खत्म हो गईं, लेकिन बूथ से दूर, गांव, कस्बों या शहरों में पुलिस बंदोबस्त अभी भी राज्य पुलिस के पास है, क्योंकि क़ानून व्यवस्था सांविधानिक रूप से राज्य का विषय है। यदि निर्वाचन आयोग राज्यों को पर्याप्त केन्द्रीय संख्या में पुलिस बल उपलब्ध करा भी दे, तब भी उनकी तैनाती और नेतृतव तो राज्य अधिकारियों के हाथों में ही रहता है, जिसके दर्शन हमें पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ चुनाव में होते रहे हैं

वहाँ यह शिकायत आम है कि मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने ही नहीं दिया गया या चुनाव के पहले अथवा खत्म होते ही उन्हें प्रताड़ित किया गया। पिछले चुनाव के दौरान और बाद में भी महीनों तक विपक्षियों के साथ जो मारपीट के दौर चलते रहे, वे निश्चित रूप से नौकरशाही और पुलिस के लिए शर्मिंदगी के बायस होने ही चाहिए। आम चुनावों के दौरान सिर्फ मतदान का दिन महत्वपूर्ण नहीं होता। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान लगभग तीन माह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें लगभग रोज़ ही सरकारी मशीनरी की निष्पक्षता का इम्तिहान होता है, जब सरकारें अपनी पसंद नापसंद के अधिकारियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटती हैं। इस पूरी कवायद से ही स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव में इन अधिकारियों की क्या भूमिका हो सकती है या सत्ता उनसे क्या अपेक्षा करती है? यद्यपि चुनाव आयोग ने इस भूमिका को सीमित करने के लिए कुछ प्रयास ज़रूर किए हैं, लेकिन उनका कोई अपेक्षित असर पड़ा हो, ऐसा नहीं लगता। इस अवधि में अलग अलग राजनीतिक दल रैलियां करते हैं और इन रैलियों के स्थान तथा इस्तेमाल की गई भाषा या या वहां प्रदर्शित पोस्टर, बैनर और हथियार - बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें इन अधिकारियों की निष्पक्षता की परख होती रहती है। यह स्वाभाविक ही है कि खास तौर से चुनाव के मौके पर लाए गए अधिकारी हमेशा शिकायत के पात्र बने रहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान जो अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई, वह उस प्रवृत्ति का द्योतक है, जिसमे पुलिस या नौकरशाही अपने राजनीतिक आक़ाओं को खुश करने के लिए

बाक़ी पेज 11 पर

पहले चरण से ही मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव की नौबत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत पर ग़ौर करें तो सपा, बसपा जैसे प्रमुख दलों ने अपने टिकट बंटवारे में एक ही सीट पर अपने-अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। रही सही कसर सांसद असदउद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पूरी कर दी। इन दलों के प्रत्याशियों की जो सूचि सामने आई है उसे देखकर तो यही लगता है कि इस चुनाव में मुस्लिम वोट का बिखराव तय है। अब इस बिखराव में किसके हिस्से कितना मुस्लिम वोट जाता है? यह देखने वाली बात होगी।

इन सीटों पर बंटवारा लगभग तय

मेरठ शहर सीट पर सपा ने रफीक अंसारी को प्रत्याशी बनाया तो बसपा ने दिलशाद शौकत को टिकट दिया। ओवैसी की पार्टी ने मेरठ की किठौर सीट से तसलीम अहमद को उम्मीदवार घोषित किया तो सपा ने यहां शाहिद मंज़ूर को उतार दिया। बसपा ने मेरठ की सीवालखास से मुकर्रम अली को टिकट दिया तो एआईएमआईएम ने यहां से रफ़त ख़ान को उतारा। बसपा ने गाज़ियाबाद की लोनी से हाजी आकिल चौधरी को प्रत्याशी बनाया तो एआईएमआईएम ने डॉ. मेहताब को टिकट दिया है।

70 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम आबादी 20 से 30 प्रतिशत के बीच है। 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से ज़्यादा है।

36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीत हासिल कर सकते हैं।

107 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम जीत हार तय कर सकते हैं।

पश्चिमी यूपी की नौ सीटों का फैसला मुस्लिम वोटर करते हैं। इनमें मेरठ सदर, रामपुर सदर, संभल, मुरादाबाद ग्रामीण, कुंदरकी, अमरोहा नगर, धोलना बेहट और सहारनपुर देहात शामिल है।

पाक को अहसास, हैसियत घटी है उसकी

पाकिस्तानी सरकार के किसी गंभीर से गंभीर नीतिगत बयान को भी बकवास या पुरानी बोतल में पुरानी शराब कहकर ख़ारिज कर देना कितना सुविधाजनक, सुरक्षित और फायदेमंद लगता है। भारत का ये रवैया लंबे समय से जारी है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग ने पिछले दिनों ताजा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति दस्तावेज़ जारी किया, उस पर हम नज़र डालते हैं। यहां आपको पांच ठोस बातें मिलेंगी।

ये जानने वाली बात है कि इस दस्तावेज़ में कश्मीर को लेकर केवल 113 शब्द दिए गए हैं। इसमें जो कहाा गया है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वह है, जो नहीं कहा गया है। सबसे पहली बात तो यह कि 5 अगस्त, 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर का दर्जा बदलने का जो फैसला किया था उसे वापस लेने की कोई मांग उसमें नहीं की गई। क्या इसका मतलब यह है कि इमरान ख़ान सामान्य स्थिति बहाल करने की जिस शर्त को बार-बार दोहराते रहे हैं, उसे पाकिस्तान छोड़ रहा है? पिछले साल उन्होंने अपनी फौज के इस विचार को ख़ारिज कर दिया था कि भारत के साथ व्यापार फिर शुरू किया जाए। उन्होंने कहा था कि भारत पहले कश्मीर पर उनकी शर्ते क़बूल करे। अब, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने जिस दस्तावेज़ पर दस्तख़त किए हैं, वह उस रुख़ के विपरीत हैं।

इसके अलावा, कश्मीर के मामले में वह क्या चाहता है? यहां से मुझे याद आ रहा है, 1991 में 'इंडिया टुडे' के लिए मैंने जो पहला इंटरव्यू लिया था नवाज़ शरीफ़ का। वे तब पहली बार पीएम बने थे। उन्होंने सभी मसलों पर गर्मजोशी से जवाब दिया था। लेकिन जब मैंने कश्मीर के बारे में प्रश्न किया, तो उन्होंने अपने सूचना सलाहकार मुशाहिद हुसैन की ओर मुड़कर मुस्कराते हुए जवाब दिया था, 'वो, क्या कहते हैं हम, आप ही बताएं।' मुशाहिद हुसैन ने जो कहा था उसे मैं दोहरा नहीं सकता। लेकिन वह 113 शब्दों में समा सकता था। वे लगभग वे ही शब्द थे जो इस दस्तावेज़ में कहे गए हैं। 2019 के इमरान से 1991 के नवाज़ तक पीछे नज़र डालना महत्वपूर्ण हैं - अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय सुरक्षा का जिस तरह मुख्य आधार बताया गया है, वह क़ाबिले ग़ौर है। हम देख सकते हैं कि आंतरिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय उदासीनता के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच रही है। यह दस्तावेज़ उन्हीं सप्ताहों के बीच आया है जब वह स्वीकृत कर्ज़ हासिल करने के लिए आईएमएफ से अपमानजनक वार्ता कर रहा था। 1993 के बाद से वह 11वीं बार कर्ज़ ले रहा था। अब हमें पता चला है कि इमरान ने यह बयान दिया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से बेहतर हाल में है, लेकिन यह बात वे आईएमएफ से निश्चित ही नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान को उसकी 'शर्ते' बहुत भारी लग रही हैं जिनसे महंगाई बढ़ सकती है और लोगों का असंतोष भी बढ़ेगा। उसने मांग की है कि आईएमएफ बोर्ड की बैठक इस माह के अंत तक टाली जाए ताकि वह विचार कर सके कि इस राहत से हाथ धो बैठे या चीज़ों की कीमतें बढ़ाने, टैक्सों में वृद्धि करने और अपने केन्द्रीय बैंक की स्वायत्तता की गारंटी देने का नया क़ानून बनाने के बारे में फैसला कर सके।

अर्थव्यवस्था, आंतरिक स्थिरता, आंतरिक अलगाववादी आंदोलनों पर ज़ोर देना इस बात को रेखांकित करता है कि आज का पाकिस्तान 30 वर्ष पहले वाला पाकिस्तान नहीं है, वह आज अपने गिरेबां में ज़्यादा झांकने लगा है। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार का दुनिया को देखने का नज़रिया दिलचस्प है। जब आप अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान के बारे में पढ़ेंगे तो एक क्षण के लिए लगेगा कि यह वर्णमाला के मुताबिक उन देशों की सूचि है जिन्हें पाकिस्तान अहम मानता है। लेकिन ये सूचि भारत पर खत्म होती है और इसके बाद 'बाकी देश' है। और तब अमेरिका उभरता है। अमेरिका को बाकी देशों में शुमार किया गया है? वह भी उनकी वजह से जिन्हें वह दिग्गज सहयोगी बताता है - जार्ज डब्ल्यू बुश क्या आप इसकी कल्पना कर सकते थे?

बशर्ते आप ये न सोच रहे हों कि यह 'कीमत' बाइडेन को तो चुकानी ही पड़ेगी क्योंकि उन्होंने इमरान ख़ान को अब तक कोई फोन नहीं किया है। और, अमेरिका के बारे में यह दस्तावेज़ क्या कहता है? यह कि पाकिस्तान उसके साथ रिश्ते का स्वागत करता है मगर वह 'खेमेबाज़ी की

बाक़ी पेज 11 पर

कुछ वर्ष में आएंगी 3000 इलेक्ट्रिक बसें

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों पहली इलेक्ट्रिक बस को झंडी दिखा कर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन में यह नए युग की शुरूआत है। डीटीसी के बेड़े में 2011 के बाद अब पहली बस आई है। फरवरी में 50 और अप्रैल तक डीटीसी के बेड़े में 300 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। यह तो अभी शुरूआत है, आने वाले कुछ वर्ष में डीटीसी के बेड़े में 2000 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी।

इसके अलावा एक हज़ार क्लस्टर सेवा के तहत आएंगी। बसों को लेकर अभी तक कुछ न कुछ ग्रहण लगाा हुआ था हमने आज यह समस्या सॉल्व कर ली है। इसलिए अब यह ग्रहण खत्म होगा। यह बस क्लस्टर के बेड़े में नहीं, डीटीसी के अधिकार क्षेत्र में हैं।

मुख्यमंत्री ने आइपी डीपो से पहली इलेक्ट्रिक बस को रवाना किया। सीएम ने कहा कि मैं समझता हूं कि आने वाले सालों में जैसे-जैसे पुरानी बसें हटती जाएंगी, वैसे-वैसे इलेक्ट्रिक आती जाएंगी। प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में यह बहुत ही महत्वपूर्ण क़दम है। इलेक्ट्रिक बस चलने के दौरान आवाज़ भी बेहद कम आती है और धुआं भी नहीं निकलता है। ऐसे में इससे वायु प्रदूषण कम होने के साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों से भी अनुरोध है कि वे अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की पहल करें और प्रदूषण के ख़िलाफ जंग में दिल्ली सरकार का सहयोग करें। इस दौरान सीएम ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत के साथ बस के अंदर यात्रियों के लिए दी गई आधुनिक सुविधाओं की जानकारी भी ली। परिवहन मंत्री गहलौत ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ ही हम दिल्लीवासियों को विश्वस्तरीय सुगम परिवहन सेवा प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है।

इस मार्ग पर चल रही है

पहली इलेक्ट्रिक (वातानुकूलित) बस रूट संख्या ई-44 पर आइपी डिपो से सर्कुलर सेवा के रूप में चलेगी। यह बस सुबह 5:30 बजे से रात 8:20 बजे तक इस मार्ग पर चलेगी। यह सब आईपी डिपो से आइटीओ, एजीसीआर, तिलक मार्ग, मंडी हाउस, बाराखंभा रोड, कनाट प्लेस, जनपथ, राजेश पायलट रोड, पृथ्वी राज रोड, अरबिंदो मार्ग, सफदरंग रिंग रोड, साउथ एक्सटेंशन, आश्रम, भोगल, जंगपुरा, इंडिया गेट, हाई कोर्ट और प्रगति मैदान से गुज़रेगी।

बस की ये है विशेषता

फास्ट चार्जिंग एक से डे़ घंटे मे पूरा चार्ज हो जाती है इस बस की बैट्री।

एक बार बैट्री के चार्ज होने पर यह 120 किलोमीटर तक चलती है।

वन दिल्ली ऐप से भी इलेक्ट्रिक बस की ले सकेंगे टिकट।

बस में विकलांग यात्रियों के लिए घुटनों के बल चलने वाले रैंप हैं।

महिला यात्रियों के लिए गुलाबी सीटें हैं।

बस सीसीटीवी कैमरे से लैस है, जो कश्मीरी गेट पर बने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ी है।

प्रत्येक बस में 10 पैनिक बटन और एक हूटर है।

ये बसें जेबीएम सिटी लाइफ कंपनी की हैं।

बसों में ड्राइवर और कंडक्टर डीटीसी के होंगे। बसों का रख रखाव कंपनी करेगी।

कुछ अन्य विशेषताएं

प्लग-इन चार्जिंग सिस्टम, ट्रैक्शन मोटर, कॉरिजन रेजिस्टेंट लैडर फ्रेम चेसिस।

हर सीट पर मोबाईल चार्जिंग साकेट।

यात्रियों के लिए स्टाप रिक्वेस्ट बटनं

पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम।

इमरजेंसी सेफ स्टाप बटन।

बस में अग्निशामक, इलेक्ट्रो न्यूमैटिक कंट्रोल्ड एंट्री डोर्स।

फायर डिटेक्शन एवं सप्रेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम। ❑❑

आने वाली इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी सरकार ने तय किए रूट

दिल्ली सरकार ने अप्रैल तक आने वाले इलेक्ट्रिक बसों के लिए रूट तय कर दिए हैं। इन बसों के रूट इस तरह बनाए गए हैं कि एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा से लेकर ग्रामीण और दिल्ली के बाहरी इलाके तक की सवारियों को सुविधा मिल सके। दरअसल, अप्रैल एक तीन सौ इलेक्ट्रिक बसें आनी हैं। इसमें से सौ बसें मुंडेला कलां डिपो, रोहिणी सेक्टर-37 डिपो से जोड़ी जाएंगी। इन बसों की पूरी जानकारी गूगल मैप पर रहेगी, ताकि दिल्ली के लोग किसी भी समय बस की स्थिति के बारे में जानकारी ले सके।

राजघाट इलेक्ट्रिक फ्लीट में शामिल बसों का यह होगा रूट

रूट नंबर टीएमएस (-)

आइएसबीटी कश्मीरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक बस का यह यट करीब 48 किलोमीटर लंबा होगा। इस रूट पर नौ बसें चलेंगी।

रूट नंबर 211 : मोरी गेट से मयूर विहार फेस तीन (वाया पेपर मार्केट) का यह रूट करीब 19 किलोमीटर लंबा होगा। इस रूट पर छह इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।

रूट नंबर-604 : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गेट दो से लाडो सराय टर्मिनल का यह रूट करीब 26.5 किलोमीटर लंबा होगा। इस रूट पर 10 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।

रूट नं. टीएमएस(+) : आइएसबीटी कश्मीरी से गेट से चलने वाली इस बस का यह रूट 50.7 किमी लंबा होगा और इस रूट पर 9 बसें चलेंगी।

रूट नंबर - एयरपोर्ट एक्सप्रेस

आइएसबीटी कश्मीरी गेट से आइजीआई एयरपोर्ट गेट-तीन तक के करीब 31.5 किमी लंबे इस रूट पर 14 बसें चलेंगी।

इसके अलावा, रूट नंबर 826, 578, 821, 835, 764, 978, 539ए इन रूटों पर इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।

किस डिपो में कितनी बसें होंगी

वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर लगभग 6900 बसें चल रही हैं, जिसमें लॉ फ्लोर और स्टेंडर्ड फ्लोर एसी और नॉन ऐसी बसें शामिल हैं। पुरानी बसें हटने के बाद क्लस्टर में 450 और नई बसें जोड़ी जा रही हैं। हाल में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 100 एसी सीएनजी बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया था, इसके अलावा दिल्ली सरकार घुम्मनहेरा में 250 एसी सीएनजी और बसें जोड़ने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार सभी डिपो को इलेक्ट्रिक में बदल रही है। दिल्ली सरकार के पास दो स्थानों, हरि नगर, एक और दो और वसंत विहार में मल्टी लेवर बस पार्किंग सुविधाएं भी तैयार हो रही हैं। ❑❑

संपादकीय

शांति मिशन

शादी की आयु में वृद्धि कई समस्याओं का झंझाल होगा

शादी के लिए लड़कियों, की आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 वर्ष करने से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश किए जाने के बाद संसद की स्टैंडिंग कमिटी में भेजा गया है। इससे जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। एक बात यह भी ग़ौर करने वाली है कि लड़की की शादी की न्यूनतम आयु पर अलग-अलग पर्सनल लॉ में अलग अलग प्रावधान हैं। साथ ही शारीरिक संबंध और सहमति को लेकर भी कई विरोध ाभास हैं। ज़ाहिर है, इस प्रस्ताव ने एक साथ कई जटिल मसले छेड़ दिए हैं। दरअसल, जया जेटली समिति की सिफारिश के आधार पर यह बिल लाया गया है। समिति को देखना था कि शादी और मातृत्व की आयु का मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य, प्रजनन दल, मातृ मृत्यु दर, शिशु लैंगिक अनुपात आदि से कैसा संबंध है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल करने वाले भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय का भी कहना है कि लड़की और लड़के की उम्र में अंतर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और उम्र में अंतर होने से समानता के मौलिक अधिकार का हनन होता है।

मगर मौजूदा स्थिति में विभिन्न क़ानूनी प्रावधानों में विरोधाभास है। स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। प्रस्तावित क़ानून पास होने के बाद लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु भी 18 से 21 वर्ष हो जाएगी। लेकिन हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के तहत होने वाली शादी में अगर लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है तो भी वह शादी अमान्य नहीं है। इसके तहत प्रावधान है कि अगर किसी की आयु 18 वर्ष से कम है और उसकी शादी कराई जाती है शादी के बाद बालिक होने पर लड़की चाहे तो शादी को अमान्य घोषित करने के लिए गुहार लगा सकती है तो वह शादी मान्य हो जाती है। यानि नाबालिग लड़की जिसकी आयु 15 वर्ष से ऊपर है उसकी हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत हुई शादी अमान्य नहीं बल्कि अमान्य क़रार दिए जाने योग्य होती है।

इससे अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जब लड़की प्यूबर्टी पा लेती है यानि शारीरिक तौर पर शादी के योग्य हो जाती है तो उसकी शादी हो सकती है। अगर लड़की नाबालिग है तो उसे पैरेंट्स की सहमति ज़रूरी होती है और निकाह हो जाता है।

जहां तक आईपीसी का प्रश्न है तो इसकी धारा-375 में रेप को परिभाषित किया गया है। उसी में मैरिटल रेप को लेकर कहा गया है कि अगर कोई लड़की 15 वर्ष से कम आयु की है और उसके पति ने उससे संबंध बनाए तो वह रेप होगा। लेकिन पत्नी नाबालिग है और आयु 15 वर्ष से ज़्यादा है तो उसके साथ बनाया गया संबंध रेप के दायरे में नहीं आएगा। हालांकि अक्तूबर 2017 को दिए एक फैसले में इस अपवाद को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और व्यवस्था दी कि अगर पत्नी 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में है और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उससे संबंध बनाए जाते हैं तो पत्नी अपने पति के ख़िलाफ़ रेप का केस दर्ज करा सकती है। जजमेंट के बाद अब नाबालिग़ पत्नी इसके लिए शिकायत कर सकता है और रेप का केस दर्ज होगा। लेकिन यहां यह मुद्दा काबिले ग़ौर है कि अगर लड़की 15 वर्ष से ज़्यादा और 18 साल से कम है और उसने कोई शिकायत नहीं की और न ही बालिग होने के बाद शादी को अमान्य क़रार देने के लिए अर्ज़ी दी तो वह शादी भी मान्य है और पति द्वारा बनाए गए संबंध भी अपराध नहीं हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर हिन्दू मैरिज एक्ट और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग लड़कियों की शादी अभी भी अमान्य नहीं है तो फिर लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किए जाने का लाभ भारतीय समाज को कैसे मिलेगा जबकि देशभर में दूर-दराज़ इलाक़ों में अभी भी नाबालिग़ लड़कियों की शादी पर्सनल लॉ के तहत ही होती है।

एक अहम पहलू शारीरिक संबंध बनाने की सहमति से जुड़ा है। कानूनी प्रावधान कहता है कि अगर कोई लड़की 18 वर्ष से कम आयु की है और वह संबंध बनाने के लिए सहमति देती है तो भी आदमी के ख़िलाफ़ रेप का केस दर्ज होगा। लेकिन उसकी आयु अगर 18 वर्ष से ज़्यादा है और शारीरिक संबंध के लिए उसकी सहमति है तो फिर संबंध बनाने वाले के ख़िलाफ़ रेप का केस नहीं हो सकता। अब यहां प्रश्न यह है कि अगर लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष की जा रही है तो क्या शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ही बनी रहेगी या उसे भी 21 वर्ष किए जाने की ज़रूरत है? ऐसे ही अगर नाबालिग हिन्दू लड़की शादी को अमान्य करार दिलाना चाहे तो वह 18 वर्ष की आयु होने पर आवेदन करेगी या 21 की आयु में आने के बाद? अगर 18 वर्ष के बाद भी वह शादी को अमान्य करार नहीं दिलाती है तो क्या 21 वर्ष से कम आयु की उसकी शादी मान्य बनी रहेगी?

जैसा कि ऊपर कहा गया है, मौजूदा क़ानून के तहत 18 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र की लड़की शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति देने की अधिकारी है। मतलब यह हुआ कि लड़की कानूनी तौर पर 21 वर्ष से पहले शादी तो नहीं कर सकती लेकिन वह संबंध बनाने के लिए सहमति दे सकती है। ऐसे में बिना शादी किए लड़की 18 वर्ष से ऊपर होने के बाद संबंध बना सकती है और बच्चे भी पैदा कर सकती हैं तो क्या प्रस्तावित बिल क़ानून से बाहर बनने वाले इन रिश्तों के ज़रिए समाज में जटिलता बढ़ाने वाला है? ज़ाहिर है, लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाने से पहले इन क़ानूनी विरोधाभासों को दूर करने की आवश्यकता है।❑❑

नबी-ए-पाक सल्लाहुअलैहि वसल्लम की ज़िन्दगी

सैयदना व मौलाना हज़रत मौहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पैदाइश पीर के रोज़ सुबह सवेरे के समय रबीउल अव्वल, अप्रैल 571 में हुई आप (सल्ल॰) की पैदाइश से कुछ माह पहले आप (सल्ल॰) के वालिद मोहरम ''अब्दुल्ला'' की मृत्यु हो गयी। आपके दादा जान अब्दुल मुत्तालिब की ओर से आप (सल्ल॰) का इस्मे गिरानी (नाम) मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब है और आपकी वालिदा मोहतरमा ''आमना'' की तरफ से आपका नाम अहमद तजवीज़ हुआ। अबू लहब की आज़ाद की गयी बांदी ''शाईबा रज़ी अल्लाह अन्हा'' के कुछ दिन दूध पिलाने के बाद शरफाए कुरैश को आदत के अनुसार आप(सल्ल॰) को हज़रत हलीमा साअदया रज़ि. अल्लाह अन्हा की रज़ाअत में देकर मुज़ाफाते मक्का में भेज दिया, इस समय आप (सल्ल॰) आठ दिन के थे।

पैदाइश के चौथे साल शके सद्र का वाक्या पेश आया, इतिहासकार लिखते हैं कि शके सद्र का वाक्या चार बार पेश आया, एक बार ज़माने तफूलियत (बचपन) में हज़रत हलीमा साअदया के पास, दूसरी बार दस साल की उम्र में पेश आया (फतह अल बारी 481/13)। तीसरी बार वाक्या ए बईश्त के समय पेश आया (मसनद आबी दाऊद अल तयालसी पृष्ठ-215) और चौथी बार वाक्या मेराज के मौक़े पर (बुख़ारी रकम उल हदीस-349) कुछ ने पांचवीं बार का शिक सद्र भी ज़िक्र किया है लेकिन वह सही कथन के अनुसार साबित नहीं है। (सीरत मुस्तुफा सल्ल॰ 75/1) आप लगभग छह साल तक हलीमा साअदया रज़ियल्लाह अन्हा की परवरिश में रहे।

पैदाइश के छठे साल आपकी वालिदा माजिदा हज़रत आमना ने अपने मायके में एक महीने का ठहराव किया, वहां से वापसी पर अबवा स्थान में इनका इन्तेक़ाल हुआ और वहीं दफ़्न हुईं। (शरह अल मवाहिब लिलज़र, रकानी 1/160)

जन्म के सातवें साल आप (सल्ल॰) अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की तरबियत में परवान चढ़ते रहे और पैदाइश के आठवें वर्ष दादा मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इन्तेक़ाल हो गया। दादा के इंतेक़ाल के बाद आप (सल्ल॰) अपने चचा अबू तालिब की परवरिश में आ गए। (तबकात इब्ने सअद 74/1) और पैदाइश के 12वें वर्ष आपने अपने चचा के साथ शाम के पहले व्यापारिक सफ़र में शिरकत की, इसी सफ़र में बहीरह राहिब ने आप (सल्ल॰) की नबूवत की पेशगोई (भविष्यवाणी) भी की। (अल खसायास अल कबरी 1/84)

पैदाइश के 14वें वर्ष या 15वें वर्ष और कुछ रिवायतों के अनुसार 20वें साल अरबों की मशहूर लड़ाई ''हरब अल फजार'' पेश आयी, इस जंग में आप (सल्ल॰) अपने कुछ चर्चाओं के इसरार पर शरीक तो हुए लेकिन क़ताल में भाग नहीं लिया। (रोज़ अल अनफ 1/120)

और पैदाइश के 16 वर्ष में आपने मक्का वालों के 'हल्फ अल फिजूल' नामक समझौते में शिरकत की।

पैदाइश के 25वें वर्ष आप (सल्ल॰) ने हज़रत खदीजा (रज़ि॰) का माल लेकर व्यापार का दूसरा सफ़र मुल्क शाम की तरफ किया। यात्राा से वापसी पर इस यात्रा में पेश आने वाली घटनाएं, व्यापारिक लाभ और आप (सल्ल॰) के अख़्लाक़ व वाक़ेआत सुनकर दो महीना और 25 दिन के बाद हज़रत खदीजा रज़ि॰ अल्लाह अन्हा ने आपको निकाह का पैग़ाम भिजवा कर आपसे निकाह कर लिया।

(तब्क़ात इब्ने साअद 1/83)

आप (सल्ल॰) ने बैतुल्लाह की होने वाले तीसरे निर्माण के समय हिजरा असवद को अपने हाथों से स्थापित फरमाकर आपस में खून ख़राबे के लिए तैयार कुरैश कबीले के बीच आपसी मोहब्बत व उल्फ़त पैदा फरमा दी और इस कठिन चरण को कौशलपूर्वक समाधान करते हुए निपटा दिया। (सीरत इब्ने हिशाम 1/65)

पैदइाश के 40वें वर्ष में आप (सल्ल॰) के अधिक समय ग़ार-ए- हिरा में गुज़ारा, यहां ही आपके सिर पर नबूवत का ताज रखा गया।

नबूवत के पहले वर्ष ग़ारे हिरा में आप (सल्ल॰) पर सूरह अलक़ की पहली पांच आयतें नाज़िल हुई। (शरह अल मवाहिब 1/207)

मुसलमानों ने सांप्रदायिक आधार पर कभी नहीं किया वोट

मौलाना महमूद मदनी

मुसलमान हमेशा मुख्य धारा की सियासी पार्टियों से ही जुड़े रहे। कभी सांप्रदायिक आधार पर वोट नहीं दिया। यह सही है कि मुसलमानों को मौजूदा दौर में अलग-थलग किया जा रहा है। पर, यह भी सही है कि भारतीय मुसलमानों ने यहां अन्य किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा हासिल किया है। यह कहना है भारत-पाक विभाजन का विरोध करने वाली जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी का। वे कहते है कि अच्छा होता कि मुसलमान अन्य पार्टियों की तरह ही भाजपा को भी वोट देने की सोच पाते। हालांकि वे यह भी कहते हैं कि मुसलमानों को किसी विशेष पार्टी को हराने की सोच के साथ वोट नहीं करना चाहिए, मुस्लिम मुफीद प्रत्याशी को जिताने की सोच के साथ वोट देना चाहिए। पेश मौलाना महमूद मदनी साहब का एक इंटरव्यू।

प्रश्नः- उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल कैसा लग रहा है?

उत्तरः- तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं दिख रही है। इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि चुनाव में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। चुनाव जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर ही होना चाहिए।

प्रश्नः- इन वास्तविक मुद्दों के नज़दीक कौन सी पार्टी है?

उत्तरः- पहली बात, कोई भी पार्टी सत्ता में होती है, कुछ न कुछ अच्छे काम ज़रूर करती है। लेकिन, उसके काम का मूल्यांकन समग्रता से करना होता है। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वह्न नहीं कर रही है। सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण ख़राब करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी बात, सपा, बसपा, भाजपा व अन्य जो भी पार्टियां हैं, उनमें हर

ओवैसी साहब अच्छे वक्ता, राजनेता और बेरिस्टर हैं। लेकिन, बहुत सारी बातों पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इस असहमति के बावजूद कहना चाहता हूं कि अगर वे अपनी पार्टी यहां खड़ा करना चाहते हैं तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो लड़ना चाहे, वह लड़े यह उसका मूल अधिकार है।

समुदाय के लोग हैं। दलित भी हैं, ओबीसी भी है और ब्राह्मण भी। सभी में मुसलमान भी हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक मुसलमान ने कभी सांप्रदायिक आधार पर वोट नहीं किया। सदैव मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों का ही साथ दिया है।

प्रश्नः- क्या मुसलमानों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ नहीं जाता.?

उत्तरः- हां, यह सच है। मुसलमानों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ हैं इसकी वजह है कि मुसलमान राजनीतिक कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा सपा के पास हैं। वे अपने समुदाय के मतदाताओं पर प्रभाव डालते हैं। उन्हें सपा का साथ देने के लिए तैयार करते हैं।

प्रश्नः- असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के एजेंट हैं या मुसलमानों के रहनुमाई करने वाले नेता?

उत्तरः- ओवैसी साहब अच्छे वक्ता, राजनेता और बेरिस्टर हैं। लेकिन, बहुत सारी बातों पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इस असहमति के बावजूद कहना चाहता हूं कि अगर वे अपनी पार्टी यहां खड़ा करना चाहते हैं तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जो लड़ना चाहे, वह लड़े यह उसका मूल अधिकार है। किसी की नज़र में ओवैसी भाजपा के एजेंट हो सकते हैं, फिर भी उनके पार्टी खड़ा करने के अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता। अगर एआईएमआईएम ने कोई अच्छा प्रतयाशी उतारा मेरे क्षेत्र से तो हो सकता है मैं उसे वोट दे दूं।

प्रश्नः- भाजपा का विरोध क्यों?

उत्तरः- भारत विभिन्न मतों व सम्प्रदायों का कुनबा है। भाजपा इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे देश का नुकसान होगा। लोग जाति व धर्म में बंटे, यह न समाज हित में है और न ही राष्ट्र हित में। हां, मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि भाजपा को हराने की भावना के साथ वोट देना उचित नहीं। जो उम्मीदवार उम्मीदों पर खरा उतरता हो, उसे जिताने की भावना के साथ वोट देना चाहिए।

प्रश्नः-क्या मुसलमानों का सियासी प्रतिनिधित्व कम हुआ है.?

उत्तरः- यह चिंता की बात है। आज देश में मुसलमानों को आइसोलेट (अलग थलग) किया जा रहा है। वे इसे महसूस भी कर रहे हैं। अगर यह जारी रहा तो यह दुर्भाग्य होगा। राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को बढ़ाना होगा। न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और सुरक्षा के मोर्चे पर भी। समग्रता में कहें तो क्षमता निर्माण का काम करना होगा। लेकिन, इस मुल्क में मुसलमानों ने बहुत कुछ हासिल किया है। इसलिए उन्हें निराश या हताश होने की ज़रूरत नहीं हैं मालदार मुसलमान तो पाकिस्तान चले गए थे। यहां तो अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग ही रह गए थे। भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत और देश में मिले प्लेटफार्म (सांविधानिक अधिकार) की बदौलत बहुत कुछ हासिल किया है।

प्रश्नः- जिन्ना में भी काफी राजनीतिक चर्चा में रहे..?

उत्तरः- जिन्ना ने देश देश के बंटवारे की बात करके ऐतिहासिक जुर्म किया। धर्म के आधार पर कोई भी राष्ट्र नहीं बनता। ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) कभी अलग नहीं होता। इससे सबक़ मिलता है कि धर्म के आधार पर देश को जोड़े नहीं रखा जा सकता। बंटवारे का फायदा आज दुनिया उठा रही है। यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए नुकसानदायक रहा। जिन भारतीय मुसलमानों ने भारत को चुना, उन्होंने किसी भी मुल्क के मुसलमानों से यहां ज़्यादा ही हासिल किया है।

प्रश्नः- भाजपा मथुरा के मुद्दे को भी ला रही है.?

उत्तरः- चुनावी लिहाज़ से फायदा उठाने के लिए भाजपा ऐसा कर रही है। यह राष्ट्रहित में नहीं है। भाजपा गलती कर रही है। भाजपा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का सिर्फ नारा देती है। इस पर अमल नहीं करती। इसे मैं अच्छी स्थिति मानूंगा अगर भारतीय मुसलमान यह महसूस करे कि अन्य पार्टियों की तरह भाजपा को भी वोट दिया जा सकता है। लेकिन, ताली एक हाथ से नहीं बज सकती। असम चुनाव के दौरान भाजपा के मुख्यमंत्री पद के कैंडीडेट ने तो यहां तक कह दिया था कि उन्हें मियां भाई का वोट नहीं चाहिए।

प्रश्नः- धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को ठगा नहीं गया?

उत्तरः- अगर 100 प्रतिशत ऐसा होता तो मुसलमान इतना सब कुछ कैसे हासिल कर पातें। शिकायतें तो दूसरे समुदायों की भी हैं। ज़िन्दगी के साथ शिकायतें और मांगें रहती ही हैं। सबने छला होता तो मुसलमान इस स्थिति में कैसे होता।

प्रश्नः- सीएए/एनआरसी चुनावी मुद्दा बनेगा.?

उत्तरः- मुझे नहीं लगता कि यह कोई चुनावी मुद्दा बनेगा। यह अलग लंबी बहस का मुद्दा है कि जिस अंदाज़ में उसका विरोध हो रहा है, उचित है या नहीं?

प्रश्नः- सरकार की विभिन्न

मैं पहले ही कह चुका हूं कि हर सरकार अच्छे काम करती ही है। उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन, वर्तमान माहौल का मुद्दा अच्छे कामों पर हावी हो गया है। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने देश के लिए काफी कुछ किया हैं इसका फायदा मुसलमानों को ही मिला। हमें एक ऐसी सत्ता चाहिए, जो इंसाफ़ के साथ समझौता न करें।

योजनाओं के लाभार्थी बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं। इस पर क्या कहेंगे?

उत्तरः- मैं पहले ही कह चुका हूं कि हर सरकार अच्छे काम करती ही है। उसकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन, वर्तमान माहौल का मुद्दा अच्छे कामों पर हावी हो गया है। देश की तमाम राजनीतिक पाटियों ने देश के लिए काफी कुछ किया हैं इसका फायदा मुसलमानों को ही मिला। हमें एक ऐसी सत्ता चाहिए, जो इंसाफ़ के साथ समझौता न करें। आगे बढ़ने के अवसरों को पारदर्शी ढंग से सबके लिए उपलब्ध कराए। जो काबिल हो, वो उसे हासिल कर ले।

प्रश्नः- चुनावी फतवे जारी करना कहां तक उचित है.?

उत्तरः- मैं खुद मौलाना हूं। मेरा मानना है कि फतवे सिर्फ धार्मिक मामलात पर दिए जा सकते हैं, राजनीतिक पर नहीं। हज़ारों मुफ्ती भी एक जगह इकट्ठा हों तो भी किसी दल विशेष को वोट देने की बात कहना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है।❑❑

दलबदल का दलदल

गणतंत्र दिवस से ठीक पहले और आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावर अवसर पर आइ एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स) की ताज़ा रिपोर्ट हमारी लोकतांत्रिक परंपरा और छवि पर प्रतिकूल टिप्पणी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा में पिछले पांच वर्ष के दौरान 60 प्रतिशत विधायकों ने सत्ता के लिए पाला बदला है। वहां की कुल 40 सदस्यीय राज्य विधान सभा के 24 विधायकों ने दलबदल किया है। इसमें कांग्रेस के उन तीन विधायकों को शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने 2017 के विधान सभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थामा था। वर्ना आंकड़ा और बड़ा होता। रिपोर्ट में दलबदल की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि यह लोकतंत्र के साथ साथ जनादेश का भी घोर अपमान है। अनियंत्रित लालच नैतिकता और अनुसशासन पर भारी पड़ा है। भारी संख्या में दलबदल के मामले ये भी बताते हैं कि गोवा जैसे छोटे राज्य में पार्टियां नहीं, बल्कि क्षत्रपों का दबदबा है और क्षत्रपों के सामने पार्टियां बौनी साबित हो रही हैं। यह भी भारतीय लोकतंत्र की एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। हाल ही में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारेसकर तथा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर परिंकर के बेटे उत्पल परिंकर ने पार्टी छोड़ निर्दलीय या अन्य दल से चुनाव लड़ने की घोषणा की। गोवा में विधानसभा के लिए आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है। उल्लेखनीय है कि पिछले विधान सभा चुनाव में सबसे अधिक 17 सीटें जीतने के बावजूद कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी क्योंकि 13 सीटें जीतने वाली भाजपा ने क्षेत्रीय दलों और कुछ निर्दलीय विधायकों को साथ मिलाकर सरकार बना ली थी। गोवा के अलावा जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहां भी दलबदल की यह प्रवृत्ति चिंताजनक रूप से बढ़ी है। कुछ विधायकों ने सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं को देखते हुए दलबदल किया है, तो कुछ ने अपनी पार्टी में टिकट न मिलने पर दूसरी पार्टी का दामन थामा, तो कुछ नेता अपने और अपने परिजनों को टिकट दिलाने के लिए दूसरे दलों के साथ सौदेबाज़ी करते हुए गए। ज़ाहिर है दलबदल की यह बीमारी किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। हरियाणा में दलबदल के लिए कभी 'आया राम गयाराम' जैसी जो शब्दावली प्रचलन में आई थी, उसे राजनीतिक अवसरवाद ने किस तरह पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है, गोवा के उदाहरण से इसका पता चलता है।❑❑

पत्रलेखा चटर्जी

महामारी के दौर में सामाजिक सुरक्षा

एक वर्ष ख़त्म हो गया और दूसरा साल भी अपने पहले माह को ख़त्म करने पर है, लेकिन कोरोना वायरस का जोखिम अब भी हमारे साथ बना हुआ है। अब यह अपने अधिक संक्रामक अवतार में ओमिक्रॉन वैरिएंट के रूप में तेज़ी से पूरे भारत में फैल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो जनवरी माह में सप्ताहांत कर्फ्यू में बिता। लोगों के अनिवार्य कारण के बिना बाहर निकलना निषेध है, रेस्तरां और बार बंद हैं, हालांकि अस्थायी तौर पर होम डिलीवरी की अनुमति दी गई हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की स्वास्थ्य देखभाल के मामले में हमने पिछले दो वर्ष में क्या सीखा है। सुखद है कि इसका संक्षिप्त उत्तर है, बहुत कम!

महामारी के बीच लगातार नफ़रती बयान दिए जा रहे हैं। जैसा कि कामकाजी दुनिया में हिंसक प्रथाओं वाले किसी देश में भारी असमानताओं की विरासत के साथ घोर ग़रीबी और अभाव में जीने वाले लाखों लोगों के पास थोड़े से विकल्प और बहुत कम उम्मीद बची रहती है। यह सब सामाजिक एकता को प्रभावित करता है, जो मौजूदा महामारी जैसे बड़े संकट के समय में लचीलेपन की कुंजी है। यक़ीनन, यह भारत के लिए अनूठा नहीं है। विश्व आर्थिक मंच ने पिछले जारी की अपनी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 में कहा है कि 'सामाजिक एकता का क्षरण', 'आजीविका संकट' और 'मानसिक स्वास्थ्य की गिरावट' अगले दो सालों में दुनिया के लिए सबसे बड़े ख़तरे के रूप में देखे जाने वाले पांच जोखिमों में से हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 'यह सामाजिक संकट राष्ट्रीय नीति निर्माण की चुनौतियों से जुड़कर राजनीतिक पूंजी को सीमित करता है, वैश्विक चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए नेताओं के ध्यान और सार्वजनिक समर्थन की ज़रूरत होती है। इस पृथ्वी की सेत एक निरंतर चिंता बनी हुई है। एक देश के रूप में, हम महामारी के दौरान अपने सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों के जोखिमों के बारे में कितने जागरुक हैं और इसके बारे में क्या कर रहे हैं।

05 राज्यों के चुनाव का माहौल पूरे शबाब पर है। चुनाव आयोग द्वारा चुनावी अभियान पर रोक के बावजूद कई जगहों पर चुनावी रैलियों आयोजित की गईं। कौन जानता है कि उसके बाद क्या होगा? प्रत्येक बीतते दिन के साथ बड़ी संख्या में भारत में कोविड-19 के नए मरीज़ जुड़ रहे हैं और संक्रमित लोगों में केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित राजनेताओं की बढ़ती संख्या शामिल हैं। एहतियात के तौर पर बूस्टर खुराक अब उन बुज़ुर्ग नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जिन्होंने टीके की दो खुराकें ले ली हैं और किशोरों को भी सभी को पूरी तरह से टीका नहीं लगा पाए है।

इस बीच, एक स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर मानिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, दिसंबर में भारत की बेरोज़गारी दर लगभग आठ फीसदी तक बढ़ गई है। वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के अधिकांश समय दर सात फीसदी से अधिक थी। इससे सबसे ज़्यादा अनियोजित क्षेत्र के श्रमिक प्रभावित हुए हैं, जो देश के कार्यबल का सबसे बड़ा हिसस है। न केवल लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, बल्कि अक्सर उनके वास्तविक वेतन का भुगतान नहीं नहीं किया जाता है, बल्कि अक्सर उनके वास्तविक वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। पिछले दो सालों में हमने इस बारे में अनगिनत हृदयविदारक कहानियां सुनी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला है।

पिछले कुछ दिनों मैं अपने पड़ोस में घूमने गई थी। वहां मुझे दो युवा घरेलू नौकरियां मिलीं, जिन्होंने सप्ताहांत कर्फ्यू आंशिक लॉकडाउन के दौरान वेतन कटौती के बारे में अपनी आशंकाएं ज़ाहिर कीं। पिछले वर्ष लॉकडाउन के दौरान उनके नियोक्ता ने उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया था। अब वे एक बार फिर नए प्रतिबंधों से डरी हुई है।

त्रिंशाली चौहान एवं क्रिस्टॉफ जैफरलॉट ने एक अंग्रेजी अख़बार में अपने ताज़ा आलेख में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेरोज़गारी ज़्यादा है। वर्ष 2019-20 और दिसंबर 2021 के बीच विनिर्माण क्षेत्र में रोज़गार में 74 लाख की वृद्धि हुई। वतनभोगी लोगों का प्रतिशत 2019-20 के 21.2 प्रतिशत से गिरकर 2021 में 19 प्रतिशत रह गया है, जिसका अर्थ यह है कि 95 लाख लोगों ने वेतनभोगी नौकरियां गंवाई और बेरोज़गार हो गए अथवा अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा बन गए हैं। कर्ज़ में डूबे और भोजन जैसी ज़रूरी चीजों में कटौती कर रहे कमज़ोर लोगों के लिए किस तरह के सुरक्षा उपाय हैं? महामारी की शुरुआत के कुछ समय बाद आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने वाले श्रमिकों को उनकी नियोक्ता कंपनियों ने बताया कि संविदा (ठेका पर काम करने वाले) कर्मचारियों के लिए ताजा बीमा पॉलिसी लाई जाएगी। उदाहरण के लिए, वर्ष 2020 में फ्लिपकार्ट ने अपने संविदा कर्मचारियों के लिए तीन लाख रुपये के जीवन बीमा (टर्म लाइफ कवर) की पेशकश की थी।

बीमा उद्योग के पेशेवरों के अनुसार, महामारी के बाद, इन कंपनियों ने प्रति संविदा कर्मचारी 50,000 रुपये से शुरू होने वाले चिकित्सा और जीवन बीमा कवर खरीदे थे। लेकिन दुख की बात है कि सामाजिक सुरक्षा, जिसमें जीवनभर के लिए कवर शामिल है, इस देश में अनौपचारिक श्रमिकों की हर श्रेणी के लिए लागू नहीं है।

श्रम अर्थशास्त्री और जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर के प्रोफेसर के.आर. श्याम सुंदर ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से वकालत की है। मजदूरी संहिता, 2019 स्वतंत्र रूप से काम करने वाले श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम मज़दूरी का प्रावधान करती है। स्पष्ट रूप से, न केवल जीवन बीमा, बल्कि व्यापक सामाजिक सुरक्षा की भी आवश्यकता है, जो एक गंभीर संकट के समय में आय सुरक्षा का काम करता है और यह पूरे देश में सभी श्रेणी के श्रमिकों पर लागू होना चाहिए। और इसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। ऐसा होना अभी बाकी है, आने वाले महीनों में लाखों भारतीयों की नौकरी जाने का ख़तरा है। हम इस तरह के जोखिम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ❑❑

रोज़गार

हैल्थ सेफ्टी एंड एंवायरनमेंट के क्षेत्र में कैरियर

उत्तर भारत के ज़्यादातर बड़े शहरों में स्मॉग यानि कि ज़हरीला धुआं लोगों की समस्या बना हुआ है। दिल्ली/एनसीआर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। हालात इतने ख़राब हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक को दख़ल करना पड़ जाता है। राज्य सरकारों से लेकर केन्द्र सरकार इस मामले में उलझी हुई है।

यह सारा मामला हैल्थ सेफ्टी और एंवायरमेंट से जुड़ा है। मनुष्य निर्मित परिस्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इस तरह की समस्या खड़ी होती है लेकिन ऐसी आपदाओं से निपटने के क्षेत्र में भी कैरियर की अपार संभावनाएं हैं और यह संभव है हेल्थ सेफ्टी एंड एंवायरमेंट से जुड़े कोर्स करने से। इसमें काफी स्कोप है।

माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में प्रशिक्षित और अनुभवी युवाओं की मांग और बढ़ेगी। अत: जो लोग इस क्षेत्र में कैरियर की बुलंद तक पहुंचना चाहते हैं वे डिप्लोमा से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सों के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि स्मॉग जेसी समस्या भी एक दो दिन की समस्या नहीं है, बल्कि यह अब नियमित समस्या बनती जा रही है, ऐसे में इससे निपटने के लिए ज़रूरी प्रयास करने की ज़रूरत है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत इस क्षेत्र में हेल्थ सेफ्टी एंड एंवारनमेंट में प्रशिक्षित लोगों की मांग तेज़ी से बढ़ने की संभावना है।

कैसे-कैसे कोर्स

इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा कई तरह के कोर्स कराए जा रहे हैं। हैल्थ सेफ्टी एंड एंवारनमेंट से जुड़े लोगों को आमतौर पर सामान्य सेवाओं से जुड़ा हुआ मान लिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि यह कोर्स करने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे प्रशिक्षित युवाओं की मांग ज़्यादा है।

ट्रेड डिप्लोमा इन हैल्थ सेफ्टी एंड एंवायरनमेंट का कोर्स करने के लिए अभ्यर्थी का 12वीं या उसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। यह कोर्स 18 माह होता है। इसके साथ ही फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया जा सकता है। हालांकि फायरमैन, सब ऑफिसर, असिस्टेंट डिवीजनल ऑफिसर, डिवीजनल ऑफिसर जैसे पदों के लिए अलग-अलग कोर्स किए जा सकते हैं।

कार्य का स्वरूप

हेल्थ सेफ्टी एंड एंवायरनमेंट इंजीनियर का मुख्य काम आपदा या दुर्घटना के कारणों का पता लगाना, उसकी रोकथाम और वायु प्रदूषण एवं अन्य तरह के प्रदूषण के कारणों को रोकना होता है।

शैक्षणिक योग्यता

हेल्थ सेफ्टी एंड एंवारनमेंट विशेषज्ञ के अंदर साहस और धैर्य के साथ लीडरशिप क्वालिटी और क्विक डिसीजन लेने की क्षमता का होना ज़रूरी है ताकि किसी भी बड़ी दुर्घटना को कंट्रोल कर सके।

फिर भी डिप्लोमा या डिग्री में दाख़िले के लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसमें प्रवेश के लिए ऑल इंडिया इंट्रेंस एक्ज़ाम होता है। कैमिस्ट्री के साथ फिजिक्स या गणित विषय में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

शारीरिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता के साथ इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए शारीरिक पात्रता भी अहमियत रखती है। पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोग्राम वहीं महिलाएं कम से कम 157 सेंटीमीटर लंबी हों, वजन कम से कम 46 कि.ग्रा. होना ज़रूरी है। आई विजन दोनों के लिए 6/6 होनी चाहिए। और उम्र 19 से 23 वर्ष के अंदर होना चाहिए।

प्रमुख संस्थान

दिल्ली कॉलेज आफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, नई दिल्ली

www.dcse.com

इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

www.ignue.com

इंटरनेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ सिक्यूरिटी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, पुणे महाराष्ट्र www.iism.com

इंस्टीच्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर सेफ्टी, मोहाली पंजाब। ❑❑

इस्लामी दुनिया

अफग़ानिस्तान : मिनी वैन में धमाका 7 लोगों की मौत

काबुल: अफग़ानिस्तान के पश्चिमी हैरात प्रांत में शिया बहुल इलाके में एक मिनी वैन में हुए बम विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं भी शामिल है। तालिबान कमांडर मावलवी अंसारी के मुताबिक हमले में 10 से अधिक लोग घायल हुए। घायलों में कईयों की हालत गंभीर बताई गई है। इस विस्फोट के पीछे भी ज़िम्मेदारी किसी भी संगठन ने हमले की ज़िम्मेदारी नहीं ली है।

ब्रिटिश सांसद ने लगाया आरोप, मुस्लिम होने की वजह से छीना मंत्रीपद

ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी की सांसद व पूर्व कनिष्ठ मंत्री नुसरत ग़नी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम होने की वजह से उनसे मंत्री पद छीना गया। नुसरत ग़नी को फरवरी 2020 में जूनियर परिवहन मंत्री के पद से हटा दिया गया था। गनी ने कहा कि उनकी मुस्लिम आस्था की वजह से सहयोगी असहज थे उन्होंने कहा कि यह जानकारी उन्हें पार्टी के मुख्य सचेतक मार्क स्पेंसर ने दी थी।

यूएई में निजी ड्रोन पर प्रतिबंध

दुबई : अबू धाबी हूती विद्रोहियों की ओर से किए गए ड्रोन हमले के बाद संयुकत अरब अमीरात (यूएई) की सरकार ने देश में निजी ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया हैं इस हमले में दो भारतीयों और एक पाकिस्तानी की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे। हमले में मृत भारतीयों का अन्तिम संस्कार हुआ। दूसरी ओर आतंकी खतरे को देखते हुए यूएई के गृह मंत्रालय ने 22 जनवरी से देश में निजी ड्रोन और हल्के खेल विमानों की उड़ानें पर रोक लगा देने का आदेश जारी कर दिया है।

अर्थव्यवस्था के काले धब्बों को दूर करना ज़रूरी

आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने मज़बूत आर्थिक विकास के लिए बजट 2022 से पहले सरकार को सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकदार स्थानों के साथ कुछ काले धब्बे भी हैं। अर्थव्यवस्था में मज़बूत सुधार के लिए इन धब्बों को दूर करने की ज़रूरत है। सरकार को सावधानी से ख़र्च करने की ज़रूरत है। इससे राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर जाने से रोका जा सकता है। राजन ने कहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे बड़ी चिंता मध्यम वर्ग, लघू, एवं मझोले क्षेत्र (एसएमई) और बच्चों को लेकर है। ये सारी चीजें दबी मांग से शुरूआती सुधार के बाद 'खेल' में आएंगी। चमकदार क्षेत्रों पर कहा इनमें स्वास्थ्य क्षेत्र की कपंनियां आती हैं। सूचना प्रोद्योगिकी व इससे जुड़े क्षेत्र शानदार कारोबार कर रहे हैं।

सिर्फ वायदों की भेंट चढ़ता बचपन

हमारे देश भारत में लगभग हर छह माह या तीन माह में चुनाव होते रहते हैं, इन चुनावों के समय तो नेतागण बड़े-बड़े वायदे करते है, लुभावने सपने संजोने की बातें करते हैं, उनमें बच्चों शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके भविष्य को लेकर बड़े-बड़े वायदे और घोषणाएं की जाती हैं, चुनाव जीतते ही सब भूल जाते हैं। इसके उलट यह शर्मनाक हक़ीक़त है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार विश्वभर में सबसे अधिक शिशु भारत में इलाज के अभाव और कुपोषण के कारण मरते हैं। इससे भी दुखद बात यह है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर हमारे नेतागण राजनीति की रोटियां सेंकने से बाज़ नहीं आते। हालांकि सच्चाई यह है कि किसी भी पार्टी की सरकार ऐसी नहीं है जिसके हाथों पर मासूमों का खून न हो। विशेष बात यह है कि मरने वाले अधिकांश बच्चे समाज के ग़रीब वर्ग और दलित परिवारों से होते हैं क्योंकि इन ग़रीबों के लिए प्राइवेट डॉक्टरों से महंगी चिकित्सा करवाना संभव नहीं होता है इसलिए वे इन क़त्लगाह सरकारी अस्पतालों में शरण लेने पर मजबूर होते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में बच्चों की मौत का एक मुख्य कारण जापानी बुखार है जो कि एक विशेष प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। ये मच्छर खड़े पानी और धान के खोतों में पनपते हैं। यह समस्या दक्षिणी पूर्वी एशिया के अनेक देशों में थी मगर उन्होंने इस महामारी पर क़ाबू पा लिया है। विदेशों में इस महामारी के लिए कारगर टीके उपलब्ध हैं मगर क्योंकि वह महंगे होते हैं इसलिए भारत सरकार बजट की कमी के कारण उन्हें नहीं खरीदती। देश की अनेक प्रयोगशालाओं में इस रोग के देशी टीके विकसित करने की अनेक योजनाएं धन अभाव के कारण दशकों से खटाई में पड़ी हुई हैं। नरसिम्हा राव के शासनकाल में मिड डे मील का कार्यक्रम भारी प्रचार के साथ शुरू किया गया था। इस पर देशभर में हर वर्ष 21 हजार करोड़ खर्च किए जाते हैं। मगर इसका अधिकांश हिस्सा अधिकारियों और नेताओं के परिवारों द्वारा संचालित फर्मों की जेब में चला जाता है। यही हालत आंगनबाड़ी आदि कार्यक्रमों की भी है।

ताज उदाहरण राजस्थान और गुजरात का है। भाजपा के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के शासन में बच्चे भारी संख्या में इलाज के अभाव के कारण मर रहे हैं। उनका कहना था कि अकेले कोटा में ही दिसंबर माह में 160 शिशु दम तोड़ चुके । अब भला कांग्रेस कैसे पीछे रहे। उन्होंने फौरन यह दावा कर डाला कि भाजपा शासित गुजरात के राजकोट के सरकारी अस्पताल में दिसंबर माह में 170 से अधिक शिशु बेमौत मरे हैं। इसके बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए जो कि अभी तक जारी हैं। बाद में सरकार ने यह स्वीकार किया कि राजकोट में केवल 111 और अहमदाबाद में 88 बच्चे दिसम्बर में मरे हैं। एक अन्य चैनल ने यह दावा किया कि दिसम्बर माह में गुजरात में शिशुओं की अकाल मृत्यु की संख्या 600 से भी अधिक है। भाजपा ने कोटा 2019 में मरने वाले बच्चों की संख्या 1000 से भी अधिक बताई। विचित्र बात यह है कि प्रत्येक सरकार अपना दामन बचाने के लिए यह कुतर्क देती है कि उसके शासनकाल में पुरानी सरकार की तुलना में मरने वालो बच्चों की संख्या में कमी हुई है। कोई भी सरकार या डॉक्टर इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि ये बच्चे डॉक्टरों की लापरवाही, दवाईयों और चिकित्सा उपकरणों के अभाव के कारण मरे हैं। डॉक्टरों का तर्क भी एक जैसा है कि मरने वालों की संख्या इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बच्चे आसपास के राज्यों से भी इलाज के लिए उनके अस्पताल में आते हैं।

यह शर्मनाक कहानी हर वर्ष दोहराई जाती है। 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज और ऑक्सीजन के अभाव के कारण 1317 बच्चों ने दम तोड़ा। अजीब बात यह है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह यह राग अलापते रहे कि भाजपा के शासनकाल में कम बच्चे मरे हैं जबकि समाजवादी पार्टी के शासनकारी में मरने वाले बच्चों की संख्या अधिक है। जब देश में ज़बरदस्त हंगामा मचा तो असली आरोपियों को बचाने के लिए कुछ डॉक्टरों के खिलाफ मुक़दमा दर्ज कर लिया गया। यह बात दीगर है कि सबूतों के अभाव के कारण सभी डॉक्टर साफ बरी हो गए। हालांकि कड़ी सच्चाई यह थी कि अधिकारीगण ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई करने वाली फर्म से बिलों का भुगतान करने के बदले में कमीशन मांगते थे। जब फर्म ने कमीशन न दी तो उनके चेकों का भुगतान रोक दिया गया। इस पर फर्म ने ऑक्सीजन के सिलेंडरों की सप्लाई ही बंद कर दी। इस घोटाले में क्योंकि भाजपा के कई नेताओं का हाथ था इसलिए उन पर हाथ डालने की हिम्मत योगी सरकार की नहीं हुई। अब भला बिहार कैसे पीछे रह सकता था। सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज में मुज़फ्फरपुर में भी यही त्रासदी दोहराई गई। एक सप्ताह के भीतर 137 बच्चों ने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने इसे दबाने का प्रयास किया मगर कुछ पत्रकारों ने सरकारी दावे की पोल खोलकर रख दी। मुज़फ्फरपुर के इस अस्पताल में न ही डॉक्टर थे और न ही दवाईयां और न ही उपकरण यही कारण था कि बच्चे असंख्यक मरे। ग़ैर सरकारी सूत्रों के अनुसार मरने वाले बच्चों की संख्या 5000 से भी अधिक थी। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सरकार ने यह दावा किया कि बच्चे किसी अज्ञात बीमारी के कारण मरे हैं जो कि लीची खाने के कारण फैली और इन मौतों का कारण कुपोषण था।

विश्व गुरू बनने की राह पर अग्रसर भारत में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला रुक नहीं पा रहा है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं सरकार नई-नई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की झड़ी लगा देती है जबकि स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के बजट में निरंतर कटौती की जा रही है। देश की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है। मगर चिकित्सा पर ख़र्च किया जाने वाला बजट दिन-प्रतिदिन कम हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार इस देश के किसी न किसी हिस्से में हर रोज़ 2350 बच्चे जिनकी आयु एक वर्ष से कम होती है दम तोड़ देते हैं। 2014 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 39 बच्चे अपना पहला वार्षिक जन्मदिन भी नहीं मना पाते। 2017 में यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार आठ लाख बच्चे जन्म लेते ही भारत में दम तोड़ गए। देश में लगभग दो करोड़ 40 लाख बच्चे हर वर्ष जन्म लेते हैं। इनमें से 33 प्रतिशत बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। अर्थात् ढाई हजार बच्चे हर रोज़ मरते हैं। यह कहना गलत होगा कि केवल राजस्थान और गुजरात में ही बच्चों की अकाल मृत्यु होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 44 प्रतिशत एक वर्ष के भीतर-भीतर मर जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मरने वालों का अनुपात 42 प्रतिशत, मध्य देश में 47 प्रतिशत, असम में 44 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में

बाक़ी पेज 11 पर

घर के ताले पर बंधे कपड़े का रग बताता है कि घर का मुखिया मछली पकड़ने गया है पास के गांव

गुजरात के अमरेली जिले के शियाल बेटे (टापू) के लोग आज भी संचार के आधुनिक युग से वंचित है। यहां के लोग आज भी अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए देसी जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल, यहां के स्थानीय लोग घर का मुखिया घर में मुखिया घर में न होने, कहीं बाहर है, इसे संकेतों में बिताने के लिए कलर कोडिंग का सहारा लेते हैं। मसलन, कोई स्थानीय व्यक्ति पास ही राजुला गया है तो वह घर के मुख्य गेट के ताले पर हरा कपड़ा बांध जाता है। इसी तरह जाफराबाद जाने वाला काला कपड़ा। समुद्र में मछली पकड़े जाने व अन्य इलाकों में जाने की स्थिति में अलग अलग रंग के कपड़े बांधे जाते हैं। शियाल बेट पर अधिकांश मछुआरा समाज के लोगों की जनसंख्या है। साक्षरता दर भी नहीं के बराबर है। साल के चार महीने पुरुष घर पर और बाकी 8 माह मछली पकड़ने के लिए समुद्र की लहरों के बीच में ही रहते हैं। 5 हजार की आबादी वाले इस गांव में 2016 में बिजली आई थी।

शियाल बेट और आस पास के टापुओं पर रहने वाले लोगों के मुताबिक उनकी आजीविका का आधार ही नाव है। साक्षरता कम होने के साथ ही कम्युनिकेशन के लए कोई साधन नहीं है। ऐसे में मुखिया के घर से बाहर होने का संदेश देने के लिए ताले पर अलग अलग रंग का कपड़ा बांध देते हैं।

यहां के लोग अब भी नौका युग में बसर कर रहे हैं, वहीं महज़ एक किमी दूर दूसरे पर चकाचौंध भरी आधुनिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। दरअसल, शियाल बेट के सामने के किनारे पर पीपावाव पोर्ट है - जहां विश्व की आधुनिक टेक्नोलॉजी सहित तमाम सुविधाएं मौजूद हैं।

प्रमोद भार्गव

जातिविहीन भारत की कल्पना

पांच राज्यों में चुनावी माहौल अपने पूरे चरम पर है। हर पार्टी अपने पक्ष में लोगों को अधिक संख्या में करने का हरबा इस्तेमाल करती है और वह है जातिवाद में बांटकर एक ही झटके में वोट प्राप्त करने का फंडा। बड़े नेता सिर्फ बातों में जातिवाद के ख़िलाफ़ बोलते हैं असल में वो हर उस जाति को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं जिसके वोट से उन्हें सत्ता प्राप्त हो सकती है, उसके लिए वह कुछ भी करते हैं। हाल में केरल के शिवगिरी मठ में एक समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत में जाति व्यवस्था को खत्म कर जाति विहीन एवं वर्ग विहीन व्यवस्था की उम्मीद जताई थी। उन्होंने मंदिरों, गिरजाघरों और मस्जिद के प्रमुखों से जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने यह बात तब कही है जब दुनिया 'वसुधैव कटुंबकम' की धारणा से विमुख होकर अस्तित्ववाद की ओर बढ़ रही है। अस्तित्ववाद अमेरिका और ब्रिटेन से लेकर भारत तक में प्रखर राष्ट्रवाद के रूप में सामने आ रहा है जबकि आर्थिक उदारवाद के परिप्रेक्ष्य में यह धारणा बनी थी कि दुनिया में व्यापार के माध्यम से विश्व ग्राम की स्थापना होगी, जो भारत की सांस्कृतिक परंपरा वसुधैव कुटुंबकम का ही पर्याय है। भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को शिक्षा एवं सरकारी नौकरी में ऐसे संवैधानिक प्रावधान कर दिए गए हैं, जिनके चलते क़तई नहीं लगता कि निकट भविष्य में जातीय कुचक्र टूटेगा।

बृहत्तर हिन्दू समाज (हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख) में जिस जातीय संरचना की ब्राह्मणवादी व्यवस्था का दुश्चक्र माना जाता है, हक़ीक़त में इस जातीय व्यवस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसकी तह में जा पाना मुश्किल है। मुस्लिम समाज में भी जातिप्रथा पर पर्दा डला हुआ है। अभिजात्य मुस्लिम वर्ग यही स्थिति बनाए रखना चाहता है, जबकि मुसलमानों में सौ से अधिक जातियां हैं परंतु इनकी जनगणना में भी पहचान का आधार धर्म और लिंग है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि जाति ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कुछ ऐसा दुष्चक्र है कि हर जाति को अपनी जाति से छोटी जाति मिल जाती है। यह ब्राह्मणवाद नहीं है, बल्कि पूरा एक चक्र है। अगर जाति चक्र एक सीधी रेखा में होता तो इसे तोड़ा जा सकता था। यह वर्तुलाकार हैं इसका कोई अंत नहीं है। जब इससे मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। वैसे भी धर्म के बीच संस्कार जिस तरह से हमारे बाल अवचेतन में, जन्मजात संस्कारों के रूप में बो दिए जाते हैं, कमोबेश उसी स्थिति में जातीय संस्कार भी नादान उम्र में उड़ेल दिए जाते हैं।

इस तथ्य को एकाएक नहीं नकारा जा सकता कि जाति एक चक्र है। यदि जाति चक्र न होती तो अब तक टूट गई होती। जाति पर ज़बरदस्त कुठाराघात महाभारत काल के भौतिकवादी ऋषि चार्वाक ने किया था। गौतम बुद्ध ने भी भगवान के नाम से चलाई जाने वाली उस राजसत्ता को धर्म से पृथक किया। धर्म, जाति और वर्णाश्रित राज व्यवस्था को तोड़ कर बुद्ध समग्र भारतीय नागरिक समाज के लिए समान आचार संहिता प्रयोग में लाए। चाणक्य ने जन्म और जातिगत श्रेष्ठता को तिलांजलि देते हुए व्यक्तिगत योग्यता को मान्यता दी है। गुरुनानक देव ने जातीय अवधारणा को अमान्य करते हुए राजसत्ता में धर्म के उपयोग को मानवाधिकारों का हनन माना। संत कबीरदास ने जातिवाद को ठेंगा दिखाते हुए कहा था कि '*जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान।*' महात्मा गांधी के जाति प्रथा तोड़ने के प्रयास तो इतने अतुलनीय थे कि उन्होंने 'अछूतोद्धार' जैसे आंदोलन चला कर सफाईकर्मी का काम दिनचर्या में शामिल कर, उसे आचरण में आत्मसात किया। भगवान महावीर, संत रैदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, संत ज्योतिबा फुले, डॉ. आंबेडकर ने जाति तोड़क अनेक प्रयत्न किए, लेकिन जाति मज़बूत होती चली गई।

इतने सार्थक प्रयासों के बाद भी क्या जाति टूट पाई? नहीं, क्योंकि कुलीन हिन्दू मानसिकता, जाति तोड़क कोशिशों के समानांतर अवचेतन में पैठ जमाए बैठे मूल से अपनी जातीय अस्मिता और उसके भेद को लेकर लगातार संघर्ष करती रही हैं इसी मूल की प्रतिच्छाया हम पिछड़ों और दलितों में देख सकते हैं। मुख्यधारा में आने के बाद न पिछड़ा, पिछड़ा रह जाता है और न दलित, दलित। वह उन्हीं ब्राह्मणवादी हथकंडों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगता है, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हज़ारों साल हथकंडे रहे हैं। नतीजतन जातीय संगठन और राजनीतिक दल भी अस्तित्व में आ गए।

जातिगत आरक्षण के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद-16 की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन आरक्षण किसी भी जाति के समग्र उत्थान का मूल कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आरक्षण के सामाजिक सरोकार केवल संसाधनों के बंटवारे और उपलब्ध अवसरों में भागीदारी से जुड़े हैं। इस आरक्षण की मांग शिक्षित बेरोज़गारों को रोज़गार और अब ग्रामीण अकुशल बेरोज़गारी के लिए सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी से जुड़ गई है। परंतु जब तक सरकार समावेशी आर्थिक नीतियों को अमल में लाकर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों तक नहीं पहुंचती, तब तक पिछड़ी या निम्न जाति अथवा आय के स्तर पर पिछले छोर पर बैठे व्यक्ति के जीवनस्तर में सुधार नहीं आ सकता। लेकिन यहां प्रश्न यह उठता है कि पूंजीवाद की पोषक सरकारें समावेशी आर्थिक विकास की पक्षधर क्यों होंगी?

इस्लाम में जाति प्रथा की कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि मुसलमान भी चार श्रेणियों में विभाजित है। उच्च वर्ग में सैयद, शेख, पठान, अब्दुल्ला, मिर्ज़ा, मुग़ल, अशरफ जातियां शुमार हैं। पिछड़े वर्ग में कुंजड़ा, जुलाहा, धुनिय, दर्जी, रंगरेज, डफाली, नाई, पमारिया आदि शामिल हैं। पठारी क्षेत्रों में रहने वाले मुस्लिम आदिवासी जनजातियों की श्रेणी में आते हैं। अनुसूचित जातियों के समतुल्य धोबी, नट, बंजारा, बक्खो, हलालखोर, कलंदर, मदारी, डोम, मेहतर, मोची, पासी, खटीक, जोगी, फकीद आदि हैं। मुस्लिमों में ये ऐसी प्रमुख जातियां हैं जो पूरे देश में लगभग इन्हीं नामों से जानी जाती है। इसके अलावा देश के राज्यों में ऐसी कई जातियां हैं जो क्षेत्रीयता के दायरे में हैं। जैसे बंगाल में मंडल, विश्वास, चौधरी, राएन, हलदर, सिकदर आदि। यही जातियां बंगाल में मुस्लिमों में बहुसंख्यक हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में मरक्का, राऊथर, लब्बई, मालाबारी, पुस्लर, बोरेवाल, गारदीय, बहना, छप्परबंद आदि। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आदि में विभिन्न उपजातियों के क्षेत्रीय मुसलमान हैं। राजस्थान में सरहदी, फीलबान, बक्सेवाले आदि हैं। गुजरात में संगतराश, छीपा जैसी अनेक नामों से जानी जाने वाली बिरादरियां हैं। जम्मू कश्मीर में ढोलकवाल, गुडवाल, बकरवाल, गोरखन, वेदा (मून) मरासी, डुबडुबा, हैगी आदि जातियां है। इसी प्रकार पंजाब में राइनों और खटीकों की भरमार है।

इतनी प्रत्यक्ष जातियों होने के बावजूद मुसलमानों को लेकर यह भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि ये जातियां दुष्चक्र में नही जकड़े हैं। दरअसल जाति विच्छेद पर आवरण कुलीन विभिन्न मुस्लिम जातियों को एक सूत्र में बांधना क़तई नहीं है। गोया, ये इस छद्म आवरण की ओट में सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं पर एकाधिकार रखना चाहते हैं, जिससे इनका और इनकी पीढ़ियों को लाभ मिलता रहे। सन 1931 में हुई जनगणना में बिहार और ओडिसा में मुसलमानों की तीन बिरादरियों का ज़िक्र है - मुसिलम डोम, मुस्लिम हलालखोर और मुस्लिम जुलाहे। बाकी

बाक़ी पेज 11 पर

दुनिया में लोग रोज़ 4.8 घंटे स्मार्ट फोन पर बिता रहे, ब्राजील के बाद भारत

दुनियाभर में लोगों के मोबाइल इस्तेमाल करने के समय को लेकर चौंकाने वाली रिसर्च रिपोर्ट है। एप एनी की हाल ही में जारी 'स्टेट ऑफ मोबाइल' रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैश्विक स्तर पर यूजर्स ने 2021 में मोबाईल पर रिकॉर्ड 3.8 लाख करोड़ घंटे बिताए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लोग रोज़ाना औसतन 4.8 घंटे मोबाईल फोन पर बिता रहे है। यह अवधि उनके तिहाई के बराबर है। ब्रिटेन में, 2021 में प्रतिदिन फोन बताया गया औसत समय चार घंटे था, जो साल के वैश्विक औसत 4.8 घंटे से कम था। पर वहां मोबाईल का उपयोग 2019 में रोज़ाना तीन घंटे और 2020 में 3.7 घंटे प्रतिदिन से बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 'रिकॉर्ड ब्रेकिंग' था क्योंकि यूजर मोबाईल लाइफ स्टाइल को अपनाना और बड़ी स्क्रीन से दूरी बनाना जारी रखे हुए हैं। एप एनी के सीईओ थियोडोर क्रांत्ज ने कहा, 'बड़ी स्क्रीन धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं क्योंकि मोबाईल समय बिताने, डाउनलोड करने और कमाई समेत लगभग हर श्रेणी में रिकॉर्ड तोड़ रहा है।

ख़ास ख़बरें

सिंगापुर के भी इतिहास का हिस्सा है नेता जी : लतीफ

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 125वीं जयंती पर हुई संगोष्ठी में सिंगापुर के मशहूर लेखक असद लतीफ ने कहा कि भारत की तरह ही नेताजी सिंगापुर के इतिहास का भी अहम हिस्सा है। भारतीय उच्चायोग की ओर से आयोजित संगोष्ठी में लतीफ ने कहा कि उन्होंने इंडियन इंडिपेंडस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी का पुनरोद्धार कर मलय(दक्षिण पूर्व एशिया) में काम करने वाले भारतीय मजदूरों में आत्मसम्मान जगाकर इस क्षेत्र में जनराजनीति को आकार दिया।

नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली कोरोना संक्रमित

काठमांडो : नेपाल में कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएन-यूएमएल पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भी संक्रमित हो गए हैं पार्टी के उपप्रमुख विष्णु रिजल ने टवीट किया कि पूर्व पीएम कोली को कोरोना टेस्ट किया जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बालकोट स्थित आवास पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है।

ब्राजील में भयावह हुआ कोविड, रियो कार्निवाल रद्द

ब्राजीलिया : ब्राजील में एक ही दिन में 1.65 लाख से ज़्यादा नए कोविड मरीज़ सामने आने से स्थिति भयावह हो गई है। इस दौरान 238 लोगों की मौत हो गई। यह स्थिति कितनी भयावह है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ब्राजील की जनसंख्या महज़ 21.26 करोड़ है। यह भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के लगभग बराबर है। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में ओमिक्रॉन स्वरूप की वजह से संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ब्राजील में कोविड महामारी की शुरुआत से अब तक करीब 2.4 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं और 6,22,801 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है।

कनाडा में कुल संक्रमण 29 लाख के पार

महज़ 3.8 करोड़ की जनसंख्या व दुनिया की सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विख्यात कनाडा में कोविड संक्रमण के कुल मामले 29 लाख से को पार कर गई है। बीते एक दिन में यहां 13,555 नए मामले सामने आने स्थिति भयावह हो गई है। कुल 2905,560 नए संक्रमित लोगों में से कनाडा में 32,502 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। कनाडा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य ओंटोरियो संक्रमण का केन्द्र बना हुआ है। बीते दिन के कुल मामलों में से करीब आध यानि 6,474 मामले यहीं आएं, 47 लोगों की मौत की भी सूचना है। कनाडा में अधिकतर मामलों में ओमिक्रॉन स्वरूप का पाया जाना भी एक घातक लक्षण माना जा रहा है।

शराब और नशीले पदार्थों की विनाशकारियाँ (2)

मौलाना मु॰ सलमान मंसूरपुरी

दुनिया में नशेबाज़ी की सज़ा

इस्लाम ने जहां शराब के बारे में आख़िरत की वईदें सुनाकर समाज को इस लानत से बचाने के लिए ज़ेहनसाज़ी फरमाई है, वहीं सरकारी सतह पर भी इस पर रोक टोक के लिए शराब पीने वालों पर हद जारी की है। इसीलिए दौरे नबूवत में अगर कोई शराब के जुर्म में पकड़ा जाता तो उसको मैदान में खड़ा करके पिटाई की जाती थी और जिसके हाथ में जो चीज़ होती वह उसी से उसको मारता था, फिर ख़लीफा-ए-राशिदीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ि॰ के दौर में सहाबा के मशवरे से यह तय हुआ कि शराबी पर कम से कम 80 कोड़े लगाने की सज़ा जारी की जाए। (बुख़ारी)

शराब के दीनी व समाजी नुकसानात

शराब के नुकसानात नाक़ाबिले बयान हैं क़ुरआन ए करीम में खासतौर पर तीन नुकसानात का ज़िक्र किया गया है :

(1) शराब के नशे में आदमी आमतौर पर मदहोश होकर लड़ाई झगड़ा करता है जिसकी वजह से आपस में दुश्मनी और झगड़े के जज़्बात पैदा होते हैं और ख़ानदानों तक फित्ना और फसाद बरपा हो जाता है इसलिए आज कितने ही तलाक़ के वाक़ेआत शराबनोशी की वजह से ही पेश आते हैं।

(2) नशा की वजह से आदमी ख़ुदा की याद से ग़ाफिल हो जाता है और अपनी ज़िन्दगी के कीमती लम्हात मदहोशी में गुज़ार देता है।

(3) ख़ासतौर पर नमाज़ जेसी अहमतरीन इबादत से ग़फ़लत होती है।

शराब इंसानी जिस्म के लिए सिम्मे कातिल है

(1) नशा की वजह से याद रखने की ताक़त बहुत अधिक प्रभावित होती है।

(2) नशाबाज़ को सिरदर्द की शिकायत रहने लगती है।

(3) नशा की वजह से अक्सर नसें और पट्ठे ढीले पड़ जाते है। और राशा की बीमारी में अक्सर मुब्तला हो जाता है।

(4) शराब का असर दिल पर सबसे ज़्यादा पड़ता है और उसकी वजह से जिगर सिकुड़ जाता है।

(5) शराब के आदी लोगों के दांत बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं।

(6) शराब कसरत से पीने से अक्सर गले में कैंसर की बीमारी होने का अधिक ख़तरा बनता है।

(7) शराब की वजह से हाज़मा खराब हो जाता है और शराबी आदमी अमूमन बदहज़मी में घिरा रहता है।

(8) शराब दौराने खून के निज़ाम को भी प्रभावित करती है, जिसकी वजह से खून की नसें सख़्त हो जाती हैं और अक्सर 'ब्लड प्रेशर' की बीमारी लग जाती है।

(9) अक्सर दिल की बीमारियों की वजह शराब ही बनती है।

(10) शराब के इस्तेमाल से इंसानी गुर्दों को खराब कर देता है।

(11) और शराब के असरात केवल शराबी तक महदूद नहीं रहते, बल्कि उसकी नस्लों पर भी यह मंफी असरात ज़ाहिर होकर रहते हैं, इसलिए देखा गया है कि शराब पीने वाली औरतों के बच्चे अक्सर दिमाग़ी बीमारी के शिकार होते हैं।

नशा लाने वाली चीज़ें

मसलन (1) हशीश, (2) गांजा, (3) कोकीन, (4) अफीम, (5) नशा के इंजेक्शन, (6) चरस, यह सारी चीजें अलग अलग नामों से मशहूर हैं और सब 'शराब' और नशा के हुक्म में हैं क्योंकि जनाब रसूले अकरम सल्ल॰ से मरवी है ''हर नशआवर चीज जो बड़ी मात्रा में पीने से नशा पैदा करती हो उसकी थोड़ी मात्रा भी हराम है। (तिरमिजी)

नशा के बारे में आलमी बिरादरी का दोहरा रवैया

इस्लाम हर तरह के नशे का विरोधी है, ख्वाह वह शराब की शक्ल में हो या हीरोइन या अफीम के रूप में, उसके उपलट पश्चिमी दुनिया अफीम और हीरोईन को तो क़ानून के विरुद्ध क़रार देती है, लेकिन शराब पर कोई पाबंदी नहीं लगाती, वह कोकिन, भांग, चरस, नीद लाने वाली मुसकिरात, अफीम और उसके मुरककबात आदि के कुछ देशों में इस्तेमाल और उनके कारोबार पर तो कड़ी निगरानी करती है इसके लिए इबरनाक सज़ाए, जैसे उम्र क़ैद तवीज करने के हामी है, लेकिन बुराईयों की जड़ (शराब) से जिस ने उनके देशों में उनके अपने बयान के अनुसार दूसरे नशाअवर चीज़ों ने कहीं अधिक तबाही मचा रखी है। (सुन्नते नबवी और जदीद साइंस)

यह बात कितनी हास्यास्पद है कि कभी-कभी सरकारों की ओर से नशाबाज़ी के विरुद्ध विज्ञापन छपवाए जाते हैं बल्कि करोड़ों रुपए उन विज्ञापनों पर बर्बाद कर दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर बाक़ायदा शराब बेचने के लाइसेंस जारी किए जाते रहे हैं, और नई-नई दुकानें खोली जाती हैं यह मज़ाक़ नहीं तो और क्या है, इस्लाम इस दोरुख़ी पॉलिसी का काएल नहीं है।

इस्लाम की नज़र में शराब हो या दूसरी नशाअवर वस्तुएं सब मना है और उनका इर्तेकाव व जुर्म है अल्लाह तबारक व तआला पूरी इंसानियत को शराब और नशे की चीज़ों से पूरी तरह दूर रखें और हम सबको अक़्ले सलीम अता फरमाकर उसकी हिफाज़त की तौफ़ीक़ अता फरमाएं...आमीन्! ❑❑

हुस्ने मामलात

हज़रत मुहम्मद बिन मुंकदिर रहमतुल्लाह अलैह चुग़ों की तिजारत करते थे। उनके पास कुछ चूग़े पांच रुपए वाले थे कुछ दस रूपए वाले। उनकी अदमे मौजूदगी में उनके गुलाम ने ग़लती से पांच रुपए वाला चूग़ा दस रुपए में बेच डाला। जब उनको इस बात का इल्म हुआ तो वह दिन भर खरीदार को ढूंढते रहे आख़िर मुलाक़ात हो गई। फरमाया कि गुलाम ने ग़लती से पांच की चीज़ दस में बेच डाली। खरीदार ने कहा कुछ मुज़ायका नहीं। मैं राज़ी हूं। आपने फरमाया तुम राज़ी हो मगर हम तुम्हारे लिए वही बात पसंद करते है जो अपने लिए करते हैं, अब तुम तीन बातों में से एक बात पसंद कर लो।

नम्बर एक : दस रुपए वाला चूग़ा ले लो।

नम्बर दो : पांच रुपए वापस ले लो।

नम्बर तीन : हमारी चीज़ दे दो और अपने दाम वापस ले लो। ख़रीदार ने आपके इसरार से पांच रुपए वापस ले लिए और उस हुस्ने मामलात पर हैरतज़दा होकर दर्याफ़्त किया कि यह कौन शख़्स है? लोगों ने नाम बता दिया तो उसने कहा कि सुब्हानअल्लाह! इन्हीं की बदौलत क़हत साल में हम पर बारिश होती है।

नूरे क़ुरआन

(सूरा अल्लहब नं॰ 111)

अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.

इसकी पत्नी उम्ले ज़मील को भी हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ से बहुत ईर्ष्या विरोध था, जो दुश्मनी की आग अबूलहब भड़काता था। ऐसा समझो वह औरत उसमतें लकड़िकयां डाल कर उसको और तेज़ करती थी। इस सूरा में दोनों का अंत बतलाकर चेतावनी दी है कि मर्द या औरत अपना हो या बेगाना, बड़ा हो या छोटा जो सच की दुश्मनी पर कमर बांधेगा वह अंततः अपमानित होकर तबाह व बर्बाद हो जायेगा। रसूल की समीपता और पारिवारिक संबंध भी उसको तबाही से बचा न सकेंगे। यह अबुलहब हाथ झटक कर क्या बातें बनाता है और अपनी भुजाओं के बल पर घमंड करके सच्चे रसूल पर हाथ उठाता है। समझ लें कि अब उसके हाथ टूट चुके हैं। उसकी सभी कोशिशें सच्चाई को दबाने में बर्बाद हो चुकी। उसकी सरकारी हमेशा के लिए मिट गई। उसके काम बेकार हो गए, उसका ज़ोर टूट गया और वह स्वयं अवनति के खड्ड में गिर चुका। यह सूरा मक्के में उतरी है। कहते हैं कि बदर की लड़ाई से सात दिन पश्चात् उसके ज़हरीली किस्म का एक दाना निकला, बीमारी लग जाने के भय से सब घरवालों ने अलग डाल दिया, वहीं मर गया। तीन दिन तक लाश यूँ ही पड़ी रही, किसी ने नहीं उठाई। जब सड़ने लगी उस समय हब्शी मज़दूरों से उठवाकर दबवाई। उन्होंने एक गड्हा खोदकर उसको एक लकड़ी से अंदर धकेल दिया, ऊपर से पत्थर भर दिये। यह तो दुनिया की अपमानता और बर्बादी थी और आख़िरत का अज़ाब इससे बहुत बड़ा होगा।

न उसका माल उसके काम आया और न जो उसने कमाया।

अर्थात् माल दौलत, औलाद, सम्मान और उच्च पद पर उसको कोई वस्तु बर्बादी से बचा न सकी।

अब पड़ेगा लपटें मारती आग में।

अर्थात् मरने के पश्चात् भड़कने वाली आग में पहुंचने वाला है। संभवतः इस सम्बन्ध में कुरआन ने उसकी कुन्नियत (उपनाम) अबूलहब (आग वाला) क़ायम रखी, दुनिया तो उसको अबूलहब इस कारण कहती थी कि उसके गाल आग के अंगारों की भांति चमकते थे मगर कुरआन ने बतला दिया कि वह अपने आख़िरी परिणाम के आधार पर भी अबूलहब कहलाने का अधिकारी है।

और उसकी पत्नी भी जो सिर पर लकड़ियाँ लाद कर लाती है।

अबुलहब की पत्नी उम्मे ज़मील मालदार होने पर भी अपनी कन्जूसी के कारण जंगल से लकड़ियां चुनकर लाती थी और कांटे हज़रत की राह में बिछा देती थी, ताकि हज़रत और आने-जाने वालों को परेशासनी और तकलीफ पहुंचे। कहते हैं कि वह जिस प्रकार यहां सच्चाई की दुश्मनी और हज़रत मुहम्मद सल्ल॰ को तकलीफ पहुंचाने में अपने पति की सहायक है, दोज़ख़ में भी इसी प्रकार उसके साथ रहेगी। संभवतः वहां जक्कूम और जरी (यह दोनों जहन्नम के कांटेदार पेड़ हैं) की लकड़ियाँ उठाये फिरे और उनके द्वारा अपने पति पर अल्लाह के अज़ाब की आग को तेज़ करती रहे।

अमीर सिपाही

बादल सुल्तानपुरी

उसी राहबर पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है
जो कभी अमीरे सिपाह है तो कभी मुजाहिदे आम है

कोई आज तक न समझ सका जो मुस्तफा का मक़ाम है
कभी बोरिये पे क़याम है कभी अंबिया का इमाम है

कभी ताजदारे जहान है, कभी ग़मगुसारे अनाम है
कभी बकरियों का है पासबां, कभी मेहरबाने गुलाम है

कभी फ़ाक़ा कश कभी मेज़बा, कभी सर पे ताजे शहंशही
कभी सफ़ शिकन कभी बुत शिकन, कभी दर्दमंदे अवाम है

कभी कह दिया कि अना बशर, कभी आसमां पे है जल्वागर
कभी उम्मे हानी के घर, कभी सरे अर्श महवे ख़िराम है

हुआ चुप तो उम्मी ही बन गया, खुले लब तो उक़्दा कुशा हुआ
कोई उसके बारे में क्या कहे कि वो ख़ास है कि वो आम है

यहां बादल आज भी ऐ नबी, है सुकूने दिल से नाआशना
बड़ा इज्तिराब है दर्द है, बड़ा मुज्तरिब ये गुलाम है

ये सब मुफ़्त लीजिए बदले में वोट दीजिए

उमेश चतुर्वेदी

वर्ष 1952 में हुए पहले चुनाव से लेकर अब तक के तमाम चुनावों में एक बात समान रही। हर चुनाव में राजनीतिक दल उन सहूलियतों के वायदे पर ही वोटरों को लुभाने की कोशिश करते रहे हैं, जिन्हें संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। भारत जैसे देश में जहां आर्थिक और सामाजिक असमानताएं आज भी हैं, चुनावी वायदों को लोक कल्याणकारी राज्य के तक़ाज़ों के अनुरूप माना जाता रहा हैं लेकिन हाल के सालों में लोक कल्याण के नाम पर हो रही मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाले चुनावी वायदों का चलन तेजी से बढ़ा है हालांकि इस ट्रेंड पर प्रश्न भी उठने लगे हैं। पूछा जा रहा है कि आख़िर कब तक पार्टियां मुफ्तखोरी बढ़ते वायदों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करती रहेंगी। यह अलग बात है कि इन सवालों के बावजूद फिलहाल इस ट्रेंड के थमने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे

05 राज्यों में होने जा रहे विधान सभा चुनावों पर ही नज़र डालें तो तमाम दल गुज़ारा भत्ता देने से लेकर बिजली पानी का बिल माफ कराने तक भांति-भांति के वादे कर रहे हैं। हाल के सालों में ऐसे वायदे बहुत कारगर भी रहे हैं। दक्षिण में साड़ी, एक रुपये किलो चावल और बेटी की शादी में बीस हज़ार रुपये से शुरू हुए ये ऐलान देखते ही देखते दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी तक पहुंच गए। आगामी चुनावों की बात करें तो गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली- पानी के साथ ही महिलाओं को मासिक भत्ता भी देने की बात कर रही है। कांग्रेस और अन्य दल भी इसमें पीछे नहीं हैं।

मुफ्तियां वायदे का यह सवाल जन प्रतिनिधित्व क़ानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठा था। इस पर जुलाई 2013 में कोर्ट ने कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के हिसाब से भ्रष्टाचार या ग़लत कार्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्ष 2018 में मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था, 'मुफ्तखोरी से लोग आलसी होते जा रहे हैं।'

मुफ्तखोरी वाली घोषणाओं पर पहली बार सवाल नब्बे के दशक में उठे थे, जब हरियाणा विधान सभा चुनाव के बाद, ओम प्रकाश चौटाला ने राज्य में किसानों के बिजली बिल माफ कर दिए थे। हरियाणा बिजली बोर्ड की माली हालत पहले से ही खराब थी, इस फैसले के बाद वह और बदहाल हो गया। हालांकि सभी राज्यों के बिजली निगमों की हालत कमोबेश ऐसी ही है। इसकी मुख्य वजह भी बिजली बिल माफ करने के वादों का चलन ही है।

दिल्ली में परिवहन निगम का घाटा भी किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली विधानसभा के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का कामकाज घाटा 1750.37 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। उत्तराखंड का बिजली निगम भी अरबों के घाटे में हैं। पंजाब की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। इसके बावजूद लगातार हर राजनीतिक दल अपनी ओर से भत्ते, बिजली, पानी, लैपटॉप, मुआवज़ा, आदि तरह-तरह की सौग़ातें देने के वायदे कर रहा है।

मुफ्तख़ोरी की यह व्यवस्था राजकोष को ज़बरदस्त चोट पहुंचाती है। यही वजह है कि रिजर्व बेंक के पूर्व गवर्नर सी. रंजराजन ने वर्ष 2019 में कहा था कि कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुफ्त में सामान बांटना या कर्ज़ माफ करना देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। दुर्भाग्यवश इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।

सत्ता को साध्य मानने वाले इस दौर में राजनीतिक चलन ऐसा हो गया है कि मुफ्तखोरी के वायदे का झोल समझने वाले दल भी इसी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, उन्हें भी लगता है कि अगर उन्होंने वायदे नहीं किए तो उनके हाथ से सत्ता निकल जाएगी। मतदाताओं का बड़ा वर्ग भी इस चलन को समझने लगा है लेकिन उसका रवैया भी लगे हाथों फायदा उठा लेने का है। बिजली पानी के बिल या सस्ते कर्ज़ का भुगतान हैसियत होते हुए भी वह इस उम्मीद में टालता रहता है कि चुनावों के ठीक पहले उसे माफी मिल ही जाएगी।

इसमें शक नहीं कि लोक कल्याण का भाव समाज के हर वर्ग के कल्याण में निहित होता है। ऐसे में जो पिछड़े रह गए हैं, जो इलाके विकास से वंचित हैं, उन्हें सहयोग तो मिलना ही चाहिए। इस पर संजीदा लोगों को शायद ही एतराज़ हो। लेकिन समाज में मुफ्तखोरी की आदत बढ़ाने से यह मक़सद पूरा नहीं होता।

मुफ्तखोरी का चलन राज्यों के कोष पर दबाव बढ़ा रहा है। यह दबाव बाद में केन्द्र और राज्यों के बीच नए झगड़ों की वजह भी बनता है। मुफ्तखोरी के वायदे के चलते जब राज्यों की अपनी अर्थ व्यवस्था हांफने लगती है तो वे केन्द्र से अतिरिक्त मदद की आक्रामक मांग पर उतर आते हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, केन्द्र की भी ऐसी मांगों के संदर्भ में अपनी सीमाएं होती हैं। राज्यों की हर मांग को पूरा करना उनके लिए संभव नहीं होता। फिर इसे लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू होती है। अब समय आ गया है कि मुफ्तख़ोरी और लोक कल्याण के भाव के बीच की महीन लकीर को स्पष्ट किया जाए। इसे स्पष्ट करने का दायित्व चुनाव आयोग और न्यायपालिका को ही निभाना होगा। कार्यपालिका वोट बैंक के चक्कर में इस ओर ध्यान देने से रही। अगर राजनीतिक दलों में एकराय हो तो बात बन भी सकती हैं, हालांकि ऐसी पहल करने का उनके लिए खतरा भी है। जो दल इस लकीर को स्पष्ट करने की कोशिश करेगा, उसे जन विरोधी होने का आरोप भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए उम्मीद चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से ही की जा सकती है। आख़िर हाल के दिनों में जितने भी चुनाव प्रचार सुधार हुए हैं, सब इन्हीं दोनों संस्थाओं की ही पहल का परिणाम है। ❑❑

पंजाब में अब 20 फरवरी को मतदान

पंजाब में विधानसभा चुनाव की नई तारीख़ आ गई है। अब यहां सभी 17 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने तारीख़ आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस, भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस के साथ बैठक की थी। मीटिंग में चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की मांग पर सहमति जताई थी। ग़ौरतलब है कि पहले पंजाब में 14 फरवरी को वोटिंग डेट निर्धारित की गई थी लेकिन 16 फरवरी को रविदास जयंती का हवाला देते हुए राजनीतिक दलों ने चुनाव कुछ दिन टालने की मांग की थी। सभी राजनीतिक दलों ने 14 फरवरी की बजाय 20 को वोटिंग कराए जाने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है।

पंजाब में 32% अनुसूचित जाति भाईचारा हैं 16 फरवरी को श्री गुरू रविदास जी की 654वीं जयंती हैं ऐसे में लाखों लोग उनके जन्मस्थान गोवर्धनपुर जाते हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश के बनारस में है। जयंत के दिन दर्शन की इच्छा से पंजाब के लोग 13-14 फरवरी को ही स्पेशल ट्रेनों के ज़रिए पंजाब से रवाना हो जाएंगे। लोग 16 के एक दो दिन बाद ही लौटते रहेंगे। ऐसे में वह मतदान में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। अब समुदाय भी विरोध में था पंजाब का दोआबा क्षेत्र और ख़ासकर जालंधर में श्री गुरु रविदास जी के सबसे ज़्यादा श्रद्धालु हैं। वह भी चुनाव की तारीख़ के विरोध में थे। श्रद्धालुओं का कहना है कि वह लोकतंत्र के इस अहम पड़ाव में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन आयोग की दूरदर्शिता में कमी की वजह से वह वोट देने से वंचित रह सकते हैं। इसी वजह से श्रद्धालुओं ने वोटिंग की तारीख़ को एक सप्ताह आगे करने की अपील की थी।

उत्तर प्रदेश : कितना रंग दिखाएंगे ये दलबदलू?

विजय दर्डा

उत्तर प्रदेश से करीब-करीब हर रोज़ ख़बरें आ रही है कि अमुक नेता ने मौजूदा पार्टी छोड़ दी है और दूसरे दल में चले गए हैं। स्वाभाविक रूप से सत्ता में भाजपा है तो दलबदल का सामना उसे ही ज़्यादा करना पड़ रहा है। भाजपा दभ भर रही है कि उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर इस बार फिर कमल की ही पूजा होगी तो प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षत्रप उसका साथ क्यों छोड़ रहे हैं? ..और ये दलबदलू इस चुनाव में कितना रंग दिखा पाएंगे?

दरअसल चुनाव की घोषणा के ठीक पहले तक सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। पिछले दिनों दिल्ली में भाजपा कोर कमेटी की बैठक थी और वहीं से यह ख़बर छन कर आई कि भाजपा अपने 100 से ज़्यादा विधायकों के टिकट काटने वाली है। इसके ठीक बाद मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफा देते ही यूपी में इस्तीफा की झड़ी लग गई। तीन मंत्रियों समेत करीब दर्जनभर विधायक अभी तक इस्तीफ़ा दे चुके हैं जिन्होंने भी इस्तीफे दिया है उनका आरएसएस से भावनात्मक रिश्ता कभी नहीं रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय तक कांशीराम के और बाद में मायावती के करीबी थे। टिकट की चाह में भाजपा से जुड़े और जातिगत राजनीति में मंत्री भी बने। अब फिर सपा में पहुंच गए हैं। दूसरे जिन लोगों ने दल बदला है वे सभी अपने इलाके में प्रभाव रखते हैं। भाजपा से भगदड़ में सपा की झोली भरी है लेकिन दिलचस्प बात है कि अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि अब भाजपा के किसी विधायक को वे सपा में नहीं लेंगे। आख़िर अखिलेश ने ऐसा क्यों कहा? संभवत: वे मतदाताओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा में हालात ठीक नहीं है और सपा में आने के लिए कतार लगी है।

दूसरी ओर वे सपा में आए लोगों को भी संदेश देना चाह रहे हैं कि टिकटों के लिए ज़्यादा मुंह न खोले। अखिलेश को पता है कि किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को क्षति हो सकती है। चौधरी चरण सिंह के पोते और अजित सिंह के बेटे जयंत चौधरी को भाजपा अपने खेमे में नहीं रख पाई। उन्हें मनाने की कोशिशें चल रही हैं लेकिन यह आसान नहीं है। उसका सपा को फायदा मिल सकता है, यही कारण है कि सपा ने पूर्वांचल में ध्यान केन्द्रित किया है और छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा है। पूर्वांचल में पिछले चुनाव में भाजपा को 160 में से 115 सीटें मिली थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल का गढ़ बचाने के लिए लगातार दौरा करते रहे हैं। कुल 95 हज़ार करोड़ की सौग़ात पूर्वांचल को मिली है।

भाजपा में अभी जो भगदड़ मची है उसे छोटे दल बनाम बड़े दलों के रूप में भी देखना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बात की गवाह रही है कि जब भी बड़े दल मज़बूत हुए हैं तो छोटे दलों को नुकसान हुआ है

बाक़ी पेज 11 पर

महिला खिलाड़ियों को कम मौक़े मिल रहे, जिससे प्रदर्शन पर पड़ रहा असर, घर में ही हार गई थी टीम

भारतीय पुरुष क्रिकेट के हालात अभी सोप ओपोरा जैसे हैं। हर दिन कोई न कोई नया नाटक देखने को मिलता है। आजकल कप्तानी छोड़ने, कप्तानी से हटाए जाने और नया कप्तान बनाने की बात हो रही हैं। इन सब के बीच महिला क्रिकेट को लगातार मिल रही अनुचित कवरेज के कारण महिला क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं हो पा रही है। हमारी महिला टीम पिछली तीन आईसीसी ट्रॉफी में दो बार फाइनल में पहुंची, 2017 में वनडे वर्ल्ड कप में और 2020 में टी-20 वर्ल्ड कप में। टीम 2018 टी-20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेली थी। मेलबर्न में 2020 टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए 85 हजार से ज़्यादा दर्शक आए थे। लेकिन कोविड की वजह से महिला टीम को उसके बाद एक वर्ष तक कोई इंटरनेशनल मैच खेलने का अवसर नहीं मिल सका था।

महिला टीम को आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में खेलना था, लेकिन कोरोना की वजह से मुक़ाबले नहीं हुए। वहीं, पुरुष खिलाड़ी यूएई में आईपीएल खेलने के बाद आस्ट्रेलिया दौरे पर गई। इंग्लिश बोर्ड भारतीय खिलाड़ियों को लाने के लिए भी तैयार था, लेकिन बीसीसीआई ने मना कर दिया। श्रीलंका और विंडीज के ख़िलाफ़ होने वाली सीरीज़ भी कैंसिल हुई। इसके बाद, महिला टीम घर में दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ वनडे और टी-20 सीरीज में उतरी। कम मैच खेलने के कारण सही तरीक़े से तैयारी नहीं हो सकी। नतीजा - दोनों सीरीज गंवा दी। सचिव जय शाह ने कहा था, 'महामारी के बीच टूर्नामेंट होना गंभीर जोखिम है और किसी भी समय बीसीसीआई खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ख़तरे में नहीं डालना चाहता था।' हर राज्य में खेल के लिए अलग अलग नियम और प्रतिबंध थे।

महिला आईपीएल में तीन टीमों के बीच चार मुकाबल खेले जाते हैं। 2020 में शारजाह में इसका आयोजन हुआ था। 2021 में 4 मैच का महिला आईपीएल भी नहीं हुआ। दूसरी ओर, इंग्लैंड की महिला खिलाड़ियों ने द हंड्रैड और आस्ट्रेलिया की खिलाड़ियों ने महिला बिग वैश लीग में हिस्सा लिया था।

अक्तूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से महिला टीम ने इंटरनेशनल मुक़ाबले नहीं खेले हैं। भारत की 8 खिलाड़ियों ने बिग बैश में हिस्सा लिया था। लेकिन खिलाड़ी टीम के रूप में नहीं खेल पाई है। दिसंबर में चैलेंजर ट्रॉफी हुई, लेकिन इसमें टॉप खिलाड़ियों ने हिस्सा नहीं लिया। अब अगला टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में सीरीज है।

भारत के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद आस्ट्रेलिया की सभी खिलाड़ियों ने बिग बैश में हिस्सा लिया। भारत के आखिरी मेच के बाद पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, आयरलैंड की टीमें इंटरनेशनल खेल चुकी हैं। ❑❑

न्यूज़ीलैंड में उछाल ज़्यादा, सीमेंट की विकेट पर प्रैक्टिस कर रही टीम

महिला वनडे वर्ल्ड कप मार्च अप्रैल में न्यूजीलैंड में होना है। 22 वर्ष की बॉलिंग ऑलराउंडर पूजा वस्त्रकार को भी टीम में जगह मिली है। वे पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगी। उससे पहले, मेज़बान न्यूजीलैंड से पांच मैच की सीरीज भी खेलेंगी। इसके लिए पूजा जमकर पसीना बहा रही हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की परिस्थितियों के हिसाब से तैयारी की, जिसमें सिचुएशन बेस ट्रेनिंग से लेकर साइकोलॉजिस्ट की मदद भी शामिल है। पेश है पूजा से हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश।

सवाल:- वर्ल्ड कप सभी का सपना होता है। सलेक्शन के बाद क्या कहेंगी?

जवाब:- हम विश्व कप से ही प्रेरित होते हैं। विश्व कप देखकर ही बड़ी हुई हूं। मेरे लिए यह और भी विशेष है क्योंकि पिछले 3 वर्ल्ड कप इंजरी के कारण नहीं खेल सकी थी। 5 साल बाद सपना पूरा होने जा रहा है।

सवाल:- बतौर ऑलराउंडर क्या तैयारी है?

जवाब:- न्यूजीलैंड के हिसाब से तैयारी कर रही हूं। वहां के विकेट पर टर्न नहीं मिलता, उछाल होता है इसलिए सीमेंट की विकेट पर प्लास्टिक, टेनिस, लैदर गेंद से बैटिंग प्रेक्ट्रिस की, ताकि बाउंसी गेंद का सामना कर सकूं। टेनिस गेंद से पॉवर हिटिंग में मदद मिलती है। गेंदबाज़ी में सिंगल विकेट स्लोअर का प्रशिक्षण कर रही हूं। मेरे पास दो वैरिएशन हैं - ऑफ कटर और बैक ऑफ द हैंड। लेग कटर सीख रहीं हूं।

सवाल:- न्यूजीलैंड की विकेट पर पेस का कितना फायदा मिलेगा?

जवाब:- शुरुआत के दस ओवर अहम रहेंगे। मुझे अपने पेस का यूज करना है। और विकेट टू विकेट शार्ट ऑफ गुड लैंथ पर गेंदबाज़ी करनी है। यॉर्कर में परफेक्शन लाने के लिए मिडिल-लेग स्टंप और वाइड लाइन में जूते रखकर निशाना लगाती हूं।

सवाल:- वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में दबाव होता है। इससे निपटने के लिए क्या किया?

जवाब:- मैंने ऐसी तैयारी की है कि ज़रूरत पर पॉवर हिटिंग करूं और विकेट गिरने लगे तो रुक कर खेलूं। हमने कैंप के दौरान सिचुएशन बेस ट्रेनिंग की है। जिसमें एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती थी और हमें खेलना होता था। टीम के साथ एक मेंटल ट्रेनर भी रखा जाता है। वो लगातार हमारी काउंसिलिंग करता रहता है।

सवाल:- कौन सी टीमें सबसे चैलेंजिंग होंगी?

जवाब:- इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया से मैच चैलेंजिंग होंगे। बाकी सभी टीमों को डॉमिनेट किया है। इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया से ही हारे हैं। आस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ काफी क्लोज रही है। टीम काफल संतुलित है।

आधी रात को लगी भूख को शांत करने के लिए ट्राई करें ये फूड

आज के समय में अधिकतर लोग रात को देर से सोते हैं, कुछ लोग देर रात तक टीवी तो कुछ लोग फोन देखने की आदत हो गई है। देर रात जागने की वजह से उनको आधी रात में भूख लगने लगती हैं। ऐसे में कुछ लोग अपने फ्रिज या रसोई में रखी हुई खाने की वस्तुएं ढूंढने लगते हैं जैसे चिप्स, नमकिन, बिस्कुट आदि खा लेते हैं, लेकिन रात के समय में ये फूड आपकी सेहत के लिए हानिकारक हैं, इसलिए हम आपको आज कुछ हेल्दी फूड खाने की जानकारी दे रहे हैं जो फूड आपकी भूख को शांत करके सेहत को हेल्दी बनाते हैं।

ड्राई फ्रूट्स

ड्राई फ्रूट्स जितना देखने में अच्छे लगते हैं उतना ही खाने में भी अच्छे लगते हैं। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका कम मात्रा में भी सेवन करके आपका पेट भारी हुआ महसूस होता है। ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर के बहुत से पोषण तत्व की पूर्ति करता है और ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ कमज़ोरी भी दूर करता है इसलिए ये आपकी राहत की भूख को शांत करने के लिए सही साबित हो सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स को काटने या पकाने की भी ज़रूरत नहीं होती है।

हल्दी वाला दूध

रात में भूख लगी है तो हल्दी वाला दूध एक बेहतरीन ऑप्शन है। एक ग्लास दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से आपकी भूख से राहत मिलेगी। हल्दी वाला दूध से आपको अच्छी नींद लेने में भी मदद मिलेगी। हल्दी वाला दूध सेहत के फायदेमंद होता है।

पॉपकॉर्न

पॉपकॉर्न एक सेहतमंद स्नैक्स है जो कम समय में बनने वाला स्नैक्स है। यदि आपको रात में भूख लगती है तो आप पॉपकार्न ट्राई कर सकते हैं। इसमें नमक चीनी और कैलोरी नैचुरली कम होती है। इसमें नैचुरल फाइबर होता है जो भूख मिटाता है।

चीज़ का सेवन करें

यदि आपको आधी रात को भूख लगे तो आप चीज़ का सेवन कर सकते हैं। रात के समय अधिक मात्रा में प्रोटीनयुक्त स्नैक्स अच्छा माना जाता है। अगर आप प्योर और अनप्रोसेस्ड चीज़ खा रहे हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद होती है। चीज़ की जगह हाई प्रोटीन व फाइबर युक्त ग्रीक योगर्ट भी खा सकते हैं।

पिस्ता कर करें सेवन

हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर पिस्ता भूख मिटाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। आप रात में स्नैक्स के रूप में छिलके वाला पिस्ता खा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 25-30 पिस्ता खा सकते हैं।

फ्रूट्स खाएं

फल हमारे स्वास्थ्य के लिए अति उपयोगी होते हैं यदि आपको आधी रात फलों का सेवन कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए फलों का सेवन करना उचित भी होता है। फाइबर युक्त फल हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है लेकिन रात के वक्त आपको बहुत ज़्यादा मीठे फल खाने से बचना चाहिए, सेहत के लिए उपयोगी पोषक तत्व वाले फलों को ही खाएं।

सूप का करें सेवन

सूप एक संतुलित आहार है। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। अगर आपको आधी रात को भुख लग रही है और कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो आपकी सेहत के लिए सूप एक बेहतरीन आहार है। इसे बनाने में भी कम समय लगता है। सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए और शरीर को गर्म रखने के लिए सूप का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ ही सूप को बनाना काफी आसान होता है।

केले का करें सेवन

अगर आपको रात में भूख लगी है और कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप केले खा सकते हैं। इसमें मौजूद मेलाटोनिन और पोटेशियम आपके टेस्ट बड्स को संतुष्ट करने के साथ ही आपकी भूख भी मिटा देते हैं। ❑❑

शेष.... प्रथम पृष्ठ

अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती हैं।

यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना को लेकर जो विमर्श हुआ, वह तो बुरी तरह राजनीति से प्रेरित था। भक्त पूरी तरह से पंजाब पुलिस को दोषी मान रहे थे, तो उनके विरोधी एसपीजी की भूमिका की पड़ताल करने में लगे थे। कम ही तटस्थ प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं, जो इस बात के लिए चिंतित होती कि दोनों संस्थाओं ने ब्लू बुक और एसपीजी एक्ट में स्पष्ट रूप से निधारित अपनी भूमिकाएं नहीं निभाईं। अगर यह स्पष्ट नहीं होगा कि सरकारी तंत्र सिर्फ अपनी सांविधानिक सीमाओं में रहकर काम कर सकता है, तो न सिर्फ हमारा संघीय ढांचा ख़तरे में पड़ता रहेगा, बल्कि पंजाब की पुनरावृत्ति किसी बड़ी राष्ट्रीय दुर्घटना का बायस बन सकती है। यह पुलिस के लिए एक वेक अप कॉल भी होनी चाहिए। जिन्हें ख़ुश करने के लिए उन्होंने अपने वैधानिक दायित्वों की उपेक्षा की थी, वे मुसीबत में उनके किसी काम नहीं आए। कुछ को सज़ा मिल चुकी है और कोई नहीं जानता कि जांच पूरी होने के बाद और किस किस पर गाज गिरेगी? न खुदा ही मिला न विसाले सनम! चुनावों के प्रबंधन में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी साख को बचाते हुए सांविधानिक अपेक्षाओं पर खरे उतरने की है।

इसमें कोई बहस नहीं हो सकती कि चुनाव में असफलता से सीधा नुकसान पुलिस की छवि का होता है, पर इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि इस छवि को सिर्फ पुलिस ही नहीं सुधार सकती। सबसे पहले तो हमारे प्रभुवर्गों को यह समझना होगा कि आसानी से दुरुपयोग किए जाने को आतुर पुलिस बल फौरी लाभ का कारण भले ही बन सके, लेकिन लंबी दौड़ में यह नुकसान का घोड़ा ही साबित होगा। न सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कुरसी की दौड़ में लगे राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि पूरी सामाजिक संरचना का स्वास्थ्य कानून सम्मत पुलिस ही ठीक रख सकती है। हमें एक ऐसी पुलिस चाहिए, जिसके लिए चुनाव कराने का मतलब सिर्फ सत्ताधारियों को खुश करने का अवसर नहीं, बल्कि एक पवित्र सांविधानिक दायित्व होना चाहिए।

पुलिस की छवि वैसे भी आम लोगों में कोई विशेष अच्छी छाप छोड़ने में अपनी तक सफल नहीं हुई है, ये पुलिस को अपनी छवि स्वच्छ करने का बेहतरीन अवसर है कि वह किसी के दबाव या किसी तरह के लालच में न आकर निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिलाकर अपनी छवि को जनता की नज़रों में ऊंची करे। पुलिस ही एक समाज को सही तरह चलाने में अहम अंग है, अगर कानून व्यवस्था ही नहीं होगी तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, इसलिए हमारे समाज के लिए पुलिस सबसे महत्वपूर्ण है। ❑❑

शेष.... पाक को अहसास....

राजनीति' को मंज़ूर नहीं करता। यह इस महाद्वीप के उस एकमात्र देश के लिए कुछ बड़ी ही बात है जो बहुदेशी, सैन्य सामरिक संधियों में औपचारिक रूप से शामिल हैं और ये तमाम 'सीटों', 'सेंटों' जैसी संधियां अमेरिका के साथ की गई है। आज भी वे संधि से बंधे सुरक्षा सहयोगी हैं लेकिन क्या अब यह सब बदल जाएगा, जब बाइडेन का फोन आ जाएगा? पाकिस्तान का कहना है कि उसे यह मौजूदा स्थिति पसंद नहीं है? जिसमें अमेरिका के साथ उसका रिश्ता केवल आतंकवाद-विरोध में सहयोग पर केन्द्रित है। इसका मतलब यह है कि क्या उसे केवल दुनिया के लिए सिरदर्द ही माना जाएगा? सबसे पुराने साथी और सरपरस्त की उदासीनता से उपजी हताशा साफ झलकती है। यह तब भी सामने आती है जब दस्तावेज़ में भारत की बात की गई है और शिकायत की गई है कि उस पर परमाणु प्रसार से संबंधित पाबंदियाँ क्यों उठा ली गई हैं। अब हम पांचवीं और अन्तिम वजह पर आते हैं।

भारत में आज जिस विचार धारा का राज है और जो उसे चला रही है उसका कई बार ज़िक्र किया गया है -हिन्दुत्ववादी राजनीति। यह आशंका भी ज़ाहिर की गई है कि इस विचारधारा के तहत काम करते हुए भारत एकतरफा समाधान भी लागू कर सकता है। या फिर जंग शुरू हो सकती है जो पारंपरिक किस्म की भी हो सकती है या ऐसी भी जिसमें सीधी टक्कर न हो।' इस दस्तावेज़ को तैयार करने वालों की मंशा क्या है, इसे विस्तार से नहीं बताया है। यह साइबर युद्ध भी हो सकता है, या दूर से मार करने वाली मिसाइलों आदि के ज़रिए युद्ध भी हो सकता है जिसमें किसी न किसी तरह का संपर्क तो होगा ही। या फिर राजनीतिक मुहिमों और दबावों का सहारा लिया जा सकता है, जैसा कि प्रमुख विदेशी राजधानियों और आईएमएफ जैसी बहुउद्देशीय संस्थाओं में होता है। अभी निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है, सिवा इसके कि आशंकाओं पर ग़ौर किया जाए।

पाकिस्तान आहत है, अपने गिरेबां में झांक रहा है, उसे सांस लेने की मोहलत चाहिए। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि दुनिया में उसकी हैसियत गिरी है और अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती टूटी है, जिसका एक आयामी संदेश यह है कि तुम यह गारंटी दो कि तुम्हारी ज़मीन से हमें परेशान करने वाली कोई बेजां हरकत अब न हो। और तीसरी बात यह कि भारत के साथ व्यापार फिर शुरू करने के फौज के विचार को पिछले साल तीन बार खारिज कर चुके, अमेरिका को अफगानिस्तान में कार्रवाई करने के लिए अपने हवाई मार्ग का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इंकार कर चुके, और नए आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति के लिए मना कर चुके इमरान ख़ान अब इन बातों पर कान दे रहे हैं। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि उनकी सियासत और लोकप्रियता कमज़ोर पड़ रही है। ❑❑

शेष.... कितना रंग दिखाएंगे ये दलबदलू?

और जब भी बड़े दलों ने छोटे दलों को साथ लिया है तो छोटे दल ज़्यादा लाभ में रहे हैं और उनके नेता बाद में उस पार्टी के लिए ही संकट पैदा करने लगते हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को क्षेत्रीय दलों से भय नहीं लगता। वे जानते कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते।

अब इस बात पर ग़ौर करते हैं कि दलबदल करने वालों का इसके पहले क्या हुआ है। विश्लेषण करें तो पता चलता है कि 2014 से 2020 के बीच जिन 12 सांसदों ने दलबदल किया और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ा उनमें से किसी को भी जीत नहीं मिली। जिन 357 विधायकों ने दलबदल करने के बाद विधानसभा का चुनाव नए सिरे से लड़ा उनमें से 170 विजयी हुए। कुल मिलाकर देखें तो दलबदल वाले 433 विधायकों और सांसदों में से 52 प्रतिशत ने जीत हासिल की। यहां आपको याद दिला दूं कि पिछले तीन चुनावों में मतदाताओं ने यूपी में सरकारें बदली हैं।

2007 में बसपा की सरकार बनी तो 2012 में सपा आ गई और 2017 में भाजपा को सत्ता मिली। इस बार योगी जी कह रहे हैं कि उन्होंने पिछले पांच साल में 5 लाख करोड़ रुपये सीधे तौर पर प्रदेश को दिया है। ये लाभार्थी भाजपा को वोट देंगे लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कामों पर वोटों की कभी बारिश नहीं होती। लोगों को कुछ सौग़ातें इसलिए मिल जाती है क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि काम करें तो वोट मिलेंगे। यूपी जैसे राज्य में तो धार्मिक ध्रुवीकरण और जातिगत राजनीति ही ज़्यादा मायने रखती है। भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण में माहिर मानी जाती है। राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्म भूमि का मामला रंग दिखा रहा है। इधर मायावती ठंडी पड़ी हैं, वे अपनी राजनीतिक और आर्थिक अड़चनों में फंसी हुई हैं, उनका वजूद ही नज़र नहीं आ रहा है। इसके बावजूद दलितों की वहीं नेता हैं, इधर दलितों और जाटों के नेता एक जगह ज़रूर आ रहे हैं लेकिन समुदाय के बीच मुज़फ्फर नगर की घटना के बाद दरार और चौड़ी हुई।..तो उत्तर प्रदेश का ये चुनाव वाक़ई दिलचस्प होने वाला है। आगे आगे देखिए होता है क्या! ❑❑

शेष.... सिर्फ वायदों की भेंट चढ़ता बचपन

41 प्रतिशत, मेघालय में 39 प्रतिशत, उड़ीसा में 41 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 38 प्रतिशत है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर में मरने वाले बच्चों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2020 को यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार विश्व में तीन लाख 92,078 बच्चे पैदा हुए। इनमें से 46,299 बच्चे चीन में पैदा हुए जबकि भारत में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या 67,385 थी। भारत में शिशुओं की अकाल मृत्यु में हो रही वृद्धि के अनेक कारण है। इनमें अशिक्षा, कुपोषण, चिकित्सक सुविधाओं का अभाव मुख्य है। भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार केवल 75 प्रतिशत बच्चों की पैदाइश अस्पतालों या जच्चा केन्द्रों में ही होती है। शेष बच्चों की पैदाइश घरों में ही अनाड़ी दाइयों द्वारा करवाई जाती है। साफ सफाई के अभाव और चिकित्सा सुविधा न होने के कारण 25 प्रतिशत बच्चे तो पैदा होते ही दम तोड़ देते हैं। इस संदर्भ में देश के आम लोगों में जागरुकता का अभाव भी शिशु मृत्यु दरों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है।

महिला कल्याण मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार 35 प्रतिशत भावी माताओं में खून की कमी है। इसका एक कारण यह भी है कि भारतीय समाज में आज भी पुत्रमोह अधिक है। सरकारी आंकड़ें कुछ भी कहें मगर कड़े तथ्य ये हैं कि देश के खुशहाल राज्यों और अमीर परिवारों में बेटियों को जन्म लेने से पूर्व ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। आम भारतीय माताएं अपने पुत्रों के खाने पीने पर ही अधिक ध्यान देती हैं जबकि बेटियों के खाने पीने की घोर उपेक्षा की जाती है। यही कारण है कि महिलाएं अधिकतर कुपोषण का शिकार होती है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कार्यक्रम सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों तक ही सीमित हैं अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो मां बाप आमतौर पर पुत्रों को ही चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने पर अधिक ध्यान देते हैं। ❑❑

शेष.... जातिविहीन भारत की कल्पना

जातियों को किस राजनीति के तहत हटाया गया, इसकी पड़ताल हो तो अच्छा है। यदि ऐसा होता है तो वास्तविक रूप से आर्थिक बदहाली झेल रही जातियों को सरकारी लाभ योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा।

अल्पसंख्क समूहों में इस वक्त हमारे देश में पारसियों की घटती जनसंख्या चिंता का कारण हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के एक सर्वे के मुताबिक पारसियों की जनसंख्या 1941 में 1,1400 के मुकाबले 2001 में केवल 69000 रह गई। इस समुदाय में ज्यादा आयु में विवाह की प्रवृत्ति के चलते भी यह स्थिति बना है। इस जाति का देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस जाति को सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया, उसमें उन्हें भारत में ही रहने के प्रावधान किए गए है। बहरहाल ऐसे समाज या धर्म सम्प्रदाय को खोजना मुश्किल है, जो जातिय कुचक्र के चक्रव्यूह में जकड़ा न हो? ❑❑

शेष.... मंज़र पस-मंज़र

शासकों ने अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करके सू की की पार्टी के लिए कुछ संभावनाएं बनाई थीं, जिसमें बहुत ज़रूरी हो चुका लोकतांत्रिक बदलाव लाया जा सके। तब सैन्य शासकों या अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज़्यादा था, फिर देश के नागरिक लगातार लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय सैन्य शासकों ने जनता की आवाज़ सुनी क्योंकि वो 2007 की केसरिया क्रांति नहीं चाहते थे। तब म्यांमार की सेना ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेहतर छवि बनाने का प्रयास किया था। इसलिए 2008 के संविधान के तहत सेना ने जिन बदलावों की अनुमति दी, उस दौरान ये भी सुनिश्चित बनाया गया कि सभी महत्वपूर्ण अधिकार सेना के पास ही रहें। 2020 के चुनाव में आंग सांग सू की के नेतृत्व वाली पार्टी एनएलडी की भारी जीत से सरकार के विधायी अंग पर सेना की पकड़ को कमज़ोर होने का भय हो गया था। एनएलडी के पास शासन करने लायक़ जनादेश भी था। म्यांमार के तब सैन्य शासकों ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए फिर तख़्ता पलट कर दिया। म्यांमार में सू की को सज़ा सुनाए जाने के बाद से भारत काफी परेशान है। भारत का स्टैंड यह है कि म्यांमार में कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरक़रार रखना चाहिए। पड़ोसी लोकतंत्र के रूप में भारत म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन का लगातार समर्थन करता रहा है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि सैन्य अदालत के फैसलों ने देशभर में भारी लोकतांत्रिक आंदोलनों को एक नया मक़सद देने का काम किया है। देश का युवा वर्ग बेखौफ होकर आंदोलन चला रहा हैं अब तक सेना 1500 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर चुकी है। गांव के गांव मरघट में तब्दील कर दिए गए हैं। हाल ही में एनएलडी के पूर्व नेताओं वाले राष्ट्रीय एकता दल ने अराकान नेशनल लीग से हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखा है ताकि सैन्य सरकार को बेदख़ल कर सकें। भविष्य में राजनीतिक दलों और जनता के एक झंडे के नीचे इकट्ठे होने और लोकतांत्रिक बहाली के लिए बड़ा आंदोलन चलाए जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। यूरोपीय संघ, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सू की को सज़ा देने की निंदा की है। ❑❑

SHANTI MISSION (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : 23 Jan.2021 Posting Days : MON. - TUE. at N.D.P.S.O. New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93

मंज़र पस-मंज़र मीम.सीन.जीम

•ख़र्च की सीमा•अमन की आशा •सू की को सज़ा : क्रूर फैसला

ख़र्च की सीमा

वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग का चुनाव खर्च बढ़ाने का फैसला उचित कहा जा सकता है। हर चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग चुनाव खर्च का अनुमान भी लगाता है। उसी के अनुसार खर्च सीमा तय करता है। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र निर्वाचन आयोग ने विधानसभा प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ा कर चालीस लाख कर दी हैं इसी तरह लोकसभा के लिए पंचानबे लाख रुपए कर दी है।

नियम के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी तय सीमा से अधिक पैसा चुनाव पर ख़र्च नहीं कर सकता। इसके लिए प्रत्याशी को बाक़ायदा अपने ख़र्च का प्रमाण भी जमा कराना पड़ता है। उसके जमा कराए प्रमाण और खर्च संबंधी दावों की जांच भी की जाती है। अगर निर्वाचन आयोग को लगता है कि कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक खर्च कर रहा है, तो उसे नोटिस भी जारी करता है। मगर हक़ीक़त यह भी है कि अब तक इसके लिए किसी को दंडित नहीं किया गया है।

फिर यह भी छिपी बात नहीं कि गिने चुने ऐसे प्रत्याशी होंगे, जो निर्वाचन आयोग द्वारा तय सीमा में धन खर्च करते हैं। ये वही लोग होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते। वरना आजकल ग्राम पंचायत जैसे मामूली चुनावों में भी कई प्रत्याशी चालीस लाख से अधिक रुपए खर्च कर देते हैं।

विधानसभा और लोकसभा के चुनाव धीरे-धीरे धनबल और बाहुबल के आधार पर लड़े और जीते जाने लगे हैं। इस तरह इन चुनावों में पानी की तरह पैसा बहाया जाने लगा है। मतदाताओं को लुभाने के लिए महंगे उपहार देने की परंपरा धड़ल्ले से चल निकली है। नगदी बांटने का भी खूब चलन है। हर चुनाव में निर्वाचन आयोग बड़े पैमाने पर नगदी, शराब, महंगे उपहार आदि की ज़ब्ती करता है। इसके अलावा प्रचार सामग्री के रूप में आकर्षक पोस्टर, बड़े-बड़े बैनर, होर्डिंग, आसमान छूते कट आउट और संचार माध्यमों में महंगे विज्ञापन पर अकूत पैसा खर्च किया जाता है। अब तो अपने पक्ष में ख़बरें छापने या बनी बनाई ख़बरें छापने के लिए भी पैसे का चलन भी सुनने में आ रहा है।

ऐसे में निर्वाचन आयोग की तय सीमा के बावजूद प्रत्याशी चुनाव में कितना पैसा करता होगा, इसका ठीक ठीक अंदाज़ा लगाना मुश्किल बना रहता है। दरअसल, निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के लिए तो खर्च सीमा तय कर रखी है, पर पार्टियों के लिए कोई सीमा तय नहीं हे। इसकी आड़ लेकर प्रत्याशी अपना बहुत सारा खर्च पार्टी के हिस्से में दिखा देते हैं। यह भी छिपी बात नहीं कि जो राजनीतिक दल चंदे के मामले में जितना संपन्न है, उसका प्रत्याशी अपने चुनाव में उतना ही अधिक पैसे ख़र्च करता है।

चुनावों में ग़ैर कानूनी ढंग से जमा किए गए पैसे को जायज़ बनाने का धंधा भी बड़े पैमाने पर होता है। इसलिए तमाम विशेषज्ञ लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को प्रत्याशी और पार्टियों के चुनाव ख़र्च पर अंकुश लगाने का कोई व्यावहारिक उपाय किया जाना चाहिए। मगर अब तक इस दिशा में कोई व्यावहारिक कदम उठाने की ज़रूरत किसी ने नहीं समझी है। दरअसल, राजनीतिक दल खुद चंदे के खेल में इस क़दर होड़ में लगे रहते हैं कि वे कालेधन पर रोक लगाने के लिए इस पहलू के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ऐसे में निर्वाचन आयोग की तय सीमा का बहुत मतलब नहीं रह जाता।

अमन की आशा

पाकिस्तान में पहली बार बनाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की यह घोषणा बेहद अहम है कि वह भारत के साथ अगले 100 सालों तक शांति बनाए रखना चाहता है। यूं तो दस्तावेज़ औपचारिक तौर पर जारी किए गए, पर उसके कुछ अंश मीडिया के सामने पेश किए जा चुके हैं। 2022 से 2026 तक के लिए जारी यह पंचवर्षीय पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहता है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर का विवाद अन्तिम तौर पर सुलझ जाने का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं हैं उसे लेकर दोनों पक्षों में पॉजिटिव बातचीत

> **भारत और पाकिस्तान को मिला दें तो आबादी के लिहाज़ से यह दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार बन जाएगा। भारत के साथ सामान्य व्यापारिक संबंध रखने से पाक अर्थव्यवस्था को कहीं अधिक फायदा हो सकता है, जो अभी बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। बेशक, इससे भारतीय कंपनियों को भी एक आकर्षक बाज़ार मिलेगा। व्यापार बढ़ाने के लिए शांति ज़रूरी हैं शांति और भरोसा हो तो कोई भी विवाद बातचीत से सुलझाया जा सकता है।**

जारी रखते हुए भी आपसी सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने का काम किया जा सकता है। पाकिस्तान की ओर से दिखाई गई यह भावना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। खासतौर पर भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध कुछ इसी अंदाज़ में विकसित हुए, जबकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है। याद करिए कि जब 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन यात्रा पर गए तो चीनी नेता तंग श्याओफिंग ने उनसे कहा था कि सीमा विवाद को सुलझाने की ज़िम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों पर छोड़ दिया जाए जो हमसे कहीं ज़्यादा मच्योर होंगी। इसी नीति के तहत दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने को राज़ी हुए। और दोनों के बीच व्यापार पिछले वर्ष सौ अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गया, वासे, इधर चीन के एलएसी पर आक्रामक रुख़ की वजह से भारत ने चीनी निर्यात और उसकी कुछ कंपनियों पर सख़्ती की है, लेकिन दोनों देशों के व्यापार पर इस तनाव का बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ है। यह बात भी सही है कि भारत पाक का मामला इससे अलग है। दोनों एक दूसरे से कई मामलों में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते दोनों देशों के बीच रिश्ते सुलझने मुश्किल है। वह कश्मीर को अनुच्छेद 470 के तहत मिला विशेष दर्जा समाप्त करने के फैसले को भी दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों से जोड़ चुके हैं। दूसरी ओर भारत कह चुका है कि सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने की नीति जारी रहते दोनों देशों के संबंधों में सुधार संभव नहीं है। ताजा सूचनाएं भी बताती हैं कि एलओसी के उस ओर करीब चार सौ आतंकी घुसपैठ के लिए मौके की ताक में बैठे हैं। बावजूद इन सबके, अगर पाकिस्तान अपने रुख़ में निर्णायक बदलाव लाता है और वह ईमानदारी से उस पर अमल करता है तो दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में सुधार इस पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के एक नए दौर की शुरुआत साबित हो सकती है। भारत और पाकिस्तान को मिला दें तो आबादी के लिहाज़ से यह दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार बन जाएगा। भारत के साथ सामान्य व्यापारिक संबंध रखने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कहीं अधिक फायदा हो सकता है, जो अभी बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। बेशक, इससे भारतीय कंपनियों को भी एक आकर्षक बाज़ार मिलेगा। व्यापार बढ़ाने के लिए शांति ज़रूरी हैं शांति और भरोसा हो तो कोई भी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है।

सू की को सज़ा क्रूर फैसला

म्यांमार की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू की को अवैध रूप से 'वॉकी टॉकी' आयात करने, रखने और कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाए जाने के बाद चार वर्ष क़ैद की सज़ा सुनाई गई हैं सू की को इससे पहले दो अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया था और चार वर्ष की क़ैद की सज़ा सुनाई गई, जिसे बाद में देश की सैन्य सरकार के प्रमुख ने आधा कर दिया था। सेना द्वारा पिछले वर्ष फरवरी में म्यांमार में सू की की सरकार को बेदख़ल करने और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने के बाद 76 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के ख़िलाफ दायर किए गए एक दर्ज मामलों में ये मामले भी शामिल हैं। सू की समर्थकों ने अदालत के फैसले को क्रूर फैसला बताया और कहा कि उनके ख़िलाफ़ आरोप सेना के कार्यों को वैध बताने और उन्हें राजनीति में लौटने से रोकने के लिए लगाए गए हैं। सैन्य अदालत का फैसला सत्ता पर काबिज़ सैन्य शासकों की उस इच्छा के अनुरूप ही है, जिसके तहत वो 2023 में बहुदलीय चुनाव कराने से पहले ताकतवर विपक्षी दल के नेताओं का सफाया करना चाहते हैं। सैन्य शासकों द्वारा झूठे और अन्यायपूर्ण आरोपों में क़ैद किए जाने का अनुभव सू की के लिए नया नहीं हैं, वो पहले ही 15 वर्ष तक घर में नज़रबंद रह चुकी हैं। सैन्य शासकों ने अब पूरी तानाशाही सरकार का चोला पहन लिया है। सैन्य शासकों ने म्यांमार को फिर से उन्हीं हालातों में पहुंचा दिया है, जहां वो एक दशक पहले था।

वर्ष 2011 में म्यांमार के सैन्य

बाक़ी पेज 11 पर

ज़रूरी ऐलान

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

रक़म भेजने के तरीक़े:-

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर
SHANTI MISSION
❸ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in ——— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

ख़रीदारी चन्दा

वार्षिक	Rs.130/-
6 महीने के लिए	Rs.70/-
एक प्रति	Rs.3/-

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
शांति मिशन
1, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादकः- मोहम्मद सालिम, फोनः- 23311455, 23317729, फैक्सः- 23316173